सत्यमेव जयते

वित्त लेखे

(खण्ड - I)

2022-23

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

झारखण्ड सरकार

वित्त लेखे

(खण्ड - I)

2022-23

झारखण्ड सरकार

विषय-सूची

खण्ड - I

विषय			पृष्ठ
●	विषय-सूची	....	i - iii
●	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	....	iv - vi
●	वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	....	vii - xii
1 :	वित्तीय स्थिति का विवरण	....	1 - 3
2 :	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण अनुबंध - रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश	....	4 - 9
3 :	प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)	....	10 - 14
4 :	व्यय का विवरण (समेकित निधि)	....	15 - 20
5 :	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण	....	21 - 27
6 :	उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण	....	28 - 31
7 :	सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण	....	32 - 45
8 :	सरकार के निवेशों का विवरण	....	46
9 :	सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण	....	47-48
10 :	सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान का विवरण	....	49 - 51
11 :	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण	....	52 - 53
12 :	राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण	....	54 - 58
13 :	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश	....	59 - 62
●	वर्ष 2022-23 के लिए वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ	....	63 - 76

खण्ड - II

भाग I

14 :	लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण	....	77 - 123
15 :	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण	....	124 - 192

विषय-सूची

विषय

16	:	लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण	....	193 - 345
17	:	उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण	....	346 - 365
18	:	सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विस्तृत विवरण	....	366 - 398
19	:	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण	....	399 - 435
20	:	सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विस्तृत विवरण	....	436 - 439
21	:	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन–देनों का विस्तृत विवरण	....	440 - 450
22	:	कर्णांकित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरण	....	451 - 452

भाग II

I	:	वेतन पर तुलनात्मक व्यय	....	453 - 460
II	:	सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय	....	461 - 504
III	:	राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान (संस्थावार और योजनावार)	....	505 - 541
IV	:	बाह्य सम्पोषित परियोजनाओं का विवरण	....	542 - 543
V	:	योजनागत योजना पर व्यय क– केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रायोजित स्कीम तथा केन्द्रीय सेक्टर स्कीम) ख– राज्य योजनागत योजनाएं	....	544 - 556
VI	:	राज्य में क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों को केन्द्रीय योजना के लिए निधियों का सीधा अन्तरण (राज्य बजट से बाह्य निधियां) (अअंकेक्षित आंकड़े)	....	557 - 564
VII	:	शेषों की स्वीकार्यता एवं मिलान (जैसा कि विवरण संख्या 18 एवं 21 में दर्शाया गया है)	....	565 - 572
VIII	:	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	....	573- 578

विषय-सूची

विषय

भाग II

IX	:	सरकार की वचनबद्धता-अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची	....	579 - 629
X	:	पृथक किये गए वेतन एवं गैर-वेतन मद के साथ अनुरक्षण व्यय	....	630 - 634
XI	:	वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णयों अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं	....	635 - 636
XII	:	सरकार की वचनबद्ध देयताएँ	....	637
XIII	:	राज्य का पुनर्गठन-वैसे मदों जिनके शेषों का बंटवारा राज्यों के बीच/मध्य नहीं हुआ है	....	638 - 642

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

झारखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के वित्त लेखों जिनमें संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से / में लेन-देन वाले संव्ययवहार सम्मिलित हैं, के साथ वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखाओं के संकलन में दो खंड शामिल हैं; खंड - I में वित्त की स्थिति की समेकित स्थिति और 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां' शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश शामिल है और खंड - II लेखाओं को विस्तार से दर्शाता है। वर्ष के लिए अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु सरकार के विनियोग लेखे, जो बजट तुलना का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग से प्रस्तुत किए गए हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों' के साथ पढ़े जाने वाले वित्त लेखे उचित वित्तीय स्थिति और वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार की प्राप्तियाँ और संवितरण प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं की लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से प्राप्त टिप्पणियां 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही झारखण्ड सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे झारखण्ड सरकार के कोषागार, कार्यालय और

विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे वित्त लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए झारखण्ड के प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत झारखण्ड के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और झारखण्ड सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

इस संकलन में विवरण (8, 9, 10 (ii), 17 (ख)(i), 17 (ग)(i) तथा 19), विवरण संख्या - 5 का व्याख्यात्मक टिप्पणियां (7) एवं विवरण संख्या 14 का व्याख्यात्मक टिप्पणी (iii) और परिशिष्ट (v, viii (i), viii(ii), ix तथा x) सीधे झारखण्ड सरकार एवं संघ सरकार से प्राप्त जानकारी से तैयार किए गए हैं जो ऐसी जानकारी के लिए उत्तरदायी हैं।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुचछेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

मामले का महत्त्व

मैं,

1) राज्य के ग्यारह (11) विभागों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 357 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध सरकारी लेखों से ₹595.44 करोड़ का आहरण किया, लेकिन वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले ₹276.50 करोड़ की राशि के 144 विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को समर्पित नहीं किया। इस सम्बन्ध में ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि ₹276.50 करोड़ की राशि वास्तव में वित्तीय वर्ष के दौरान उस प्रयोजन के लिए व्यय किया गया जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा स्वीकृत / अधिकृत किया गया था। इस प्रकार, यह वर्ष 2022-23 में व्यय का संभावित अधिकथन है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2021-22 तक कुल ₹5,838.21 करोड़ की राशि का 18,071 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र, 31 मार्च 2023 तक बकाया था। आहरित अग्रिमों, जिसे लेखाबद्ध नहीं किया गया, अपव्यय / दुर्विनियोजन / भ्रष्टाचार आदि की संभावना को बढ़ाता है।

[वित्त लेखे पर टिप्पणियां की कंडिका 3 (vi)]

2) वर्ष 2022-23 के दौरान पंद्रह (15) विभागों द्वारा प्रदान किये गए सहायक अनुदान के विरुद्ध ₹13,979.67 करोड़ की राशि का बकाया 5,194 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को राज्य के निकायों और प्राधिकरणों द्वारा समर्पित नहीं किया गया। इस संबंध में ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि ₹13,979.67 करोड़ की राशि वास्तव में वित्तीय वर्ष के दौरान उस प्रयोजन के लिए व्यय किया गया जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा स्वीकृत / अधिकृत किया गया था।

इसके अतिरिक्त 38,275 उपयोगिता प्रमाणपत्रों से संबंधित ₹1,02,173.42 करोड़ की राशि वर्ष 2021-22 तक प्रस्तुति हेतु 31 मार्च 2023 को बकाया था। इस प्रकार मार्च 2023 तक ₹1,16,153.09 करोड़ की राशि का कुल 43,469 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुति के लिए बकाया था। उपयोगिता प्रमाणपत्रों का अधिक संख्या में लम्बित रहना निधि का दुर्विनियोजन एवं भ्रष्टाचार की संभावना को बढ़ाता है।

[वित्त लेखे पर टिप्पणियां की कंडिका 3 (vii)]

3) झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 334 के अनुसार ₹1,115.39 करोड़ की राशि, जो कि पूर्व वर्षो से संबंधित था, व्यक्तिगत जमा/व्यक्तिगत लेजर लेखा के अंतर्गत ऋणों के अव्यतीत शेषों के रूप में जमा था, को संबंधित सेवा शीर्ष, जहां से राशि की निकासी की गयी थी, में व्यय में कमी के रूप में हस्तांतरित किया जाना था। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राप्ति शीर्ष ''0075- विविध सामान्य सेवाएँ, 800- अन्य प्राप्तियाँ'' के अंतर्गत राशि का गलत लेखाकरण किया गया। गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप राजस्व प्राप्ति के साथ-साथ ऋण का भी उस सीमा तक अधिकथन हुआ।

[वित्त लेखे पर टिप्पणियां 3 (ii)(ख)]

पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

'मामले के महत्त्व' खंड के कारण वित्त लेखाओं पर मेरे अभिमत संशोधित नहीं हुए।

दिनांक : ____/____/_______ **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

स्थान : नई दिल्ली **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

क. सरकारी लेखे की संरचना का विहंगावलोकन

1. झारखण्ड राज्य के वित्त लेखे, वर्ष के लिए सरकार के प्राप्तियों एवं व्ययों का लेखा, राजस्व तथा पूँजी लेखे पर आधारित वित्तीय परिणामों के साथ, लोक ऋण एवं दायित्वों तथा परिसम्पत्तियों का लेखा जैसा कि लेखे में दर्ज शेषों से निकाला गया, को प्रस्तुत करता है। वित्त लेखे, विनियोग लेखे के साथ संलग्न होता है, जिसमें अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध किये गये व्यय की तुलना को प्रदर्शित किया जाता है।

2. सरकार के लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं :-

भाग I : समेकित निधि : इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उगाहे गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड्स, केन्द्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि इत्यादि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गई सभी राशियाँ सम्मिलित हैं। विधि के अनुसार तथा उद्देश्यों के लिए एवं भारत के संविधान में बताए गए तरीकों को छोड़कर इस निधि से किसी भी राशि का विनियोग नहीं किया जा सकता है। निर्दिष्ट वर्गो के व्यय (उदाहरणस्वरूप संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान इत्यादि) राज्य के समेकित निधि पर प्रभार स्वरूप होते हैं (*प्रभारित* व्यय) जिस पर विधायिका के मत की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) विधायिका के द्वारा मत प्राप्त हैं।

समेकित निधि में दो अनुभाग समाविष्ट हैं : राजस्व तथा पूँजी (लोक ऋण, उधार तथा अग्रिम सहित)। इन्हें पुन: 'प्राप्तियाँ' तथा 'व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। राजस्व प्राप्तियाँ अनुभाग को तीन खण्डों में विभाजित किया गया, जैसे 'कर राजस्व', 'करेतर राजस्व' तथा 'सहायता अनुदान तथा अंशदान'। इन तीन खण्डों को पुन: 'वस्तु एवं सेवा कर', 'आय तथा व्यय पर कर', 'राजकोषीय सेवाएँ' इत्यादि जैसे उप-खण्डों में विभाजित किया गया है। पूँजी प्राप्तियाँ अनुभाग किसी खण्ड या उप-खण्ड में विभाजित नहीं है। राजस्व व्यय अनुभाग को चार खण्डों जैसे 'सामान्य सेवाएँ', 'सामाजिक सेवाएँ', 'आर्थिक सेवाएँ' एवं 'सहायता अनुदान तथा अंशदान' में विभाजित किया गया है। राजस्व व्यय अनुभाग के इन खण्डों को पुन: 'राज्य के अंग', 'शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति' इत्यादि जैसे उप-खण्डों में विभाजित किया गया है। पूँजी व्यय अनुभाग को आठ खण्डों जैसे 'सामान्य सेवाएँ', 'सामाजिक सेवाएँ', 'आर्थिक सेवाएँ', 'लोक ऋण', 'उधार तथा अग्रिम', 'अंतर्राज्यीय परिशोधन' एवं 'आकस्मिकता निधि को अंतरण' में उप विभाजित किया गया है।

भाग II : आकस्मिकता निधि : विधायिका, विधिसम्मत एक आकस्मिकता निधि, जो कि अग्रदाय प्रकृति की है, की स्थापना कर इसे राज्यपाल के अधीन निष्पादन हेतु इस अधिकार के साथ रखा जाता है कि वे वैसे आकस्मिक व्यय से निपटने हेतु अग्रिम प्रदान कर सकें, जिस व्यय को राज्य विधानमंडल के द्वारा अधिकृत किया जाना लम्बित है। राज्य के समेकित निधि के संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष में व्यय को नामे द्वारा इस निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है। 2022-23 के लिए झारखण्ड सरकार के आकस्मिकता निधि ₹500.00 करोड़ की है।

भाग III : लोक लेखा : सरकार के द्वारा या सरकार की तरफ से प्राप्त किए गए अन्य सभी लोक धन, जिसके लिए सरकार एक बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखा में जमा के रूप में दर्ज किया जाता है। लोक लेखे में वापसियों जैसे लघु बचत तथा भविष्य निधि, जमा (ब्याजदेय तथा अब्याजदेय),

अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याजदेय तथा अब्याजदेय), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (इनमें से दोनों ट्राँजिट शीर्ष, अंतिम रूप से दर्ज होने तक) सम्मिलित है। सरकार को उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखे के अंतर्गत शामिल है। लोक लेखे में छह खण्ड, जैसे 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि', 'आरक्षित निधियाँ', 'जमा तथा अग्रिम', 'उचंत तथा विविध', 'प्रेषण' एवं 'रोकड़ शेष' होते हैं। इन खण्डों को पुनः उप-खण्डों में विभाजित किया गया है। लोक लेखा, विधायिका के मतों के अधीन नहीं होता है।

3. सरकारी लेखे एक छह स्तरीय वर्गीकरण के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे मुख्य शीर्ष (चार अंकों का), उप-मुख्य शीर्ष (दो अंकों का), लघु शीर्ष (तीन अंकों का), उप शीर्ष (दो अंको), विस्तृत शीर्ष (दो या तीन अंकों का) तथा वस्तु शीर्ष (दो अंकों का)। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्य प्रकृति को, उप मुख्य शीर्ष उप कार्य प्रकृति को, लघु शीर्ष कार्यक्रम/गतिविधियों को, उप शीर्ष योजनाओं को, विस्तृत शीर्ष उप-योजनाओं को तथा वस्तु शीर्ष उद्देश्यों / व्यय की वस्तु इकाई को प्रस्तुत करता है।

4. लेखा में वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष होते हैं जो नीचे दिए गए कोडिंग पैटर्न के अनुसार हैं (**31 मार्च 2023 तक संशोधित मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची** के अनुसार)

0005 से 1606	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूँजीगत प्राप्तियाँ
4046 से 7810	पूँजीगत व्यय (लोक ऋण, उधार तथा अग्रिम सहित)
7999	आकस्मिकता निधि को विनियोजन
8000	आकस्मिकता निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

5. लेखे की संरचना का एक चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण नीचे दिया गया है :-

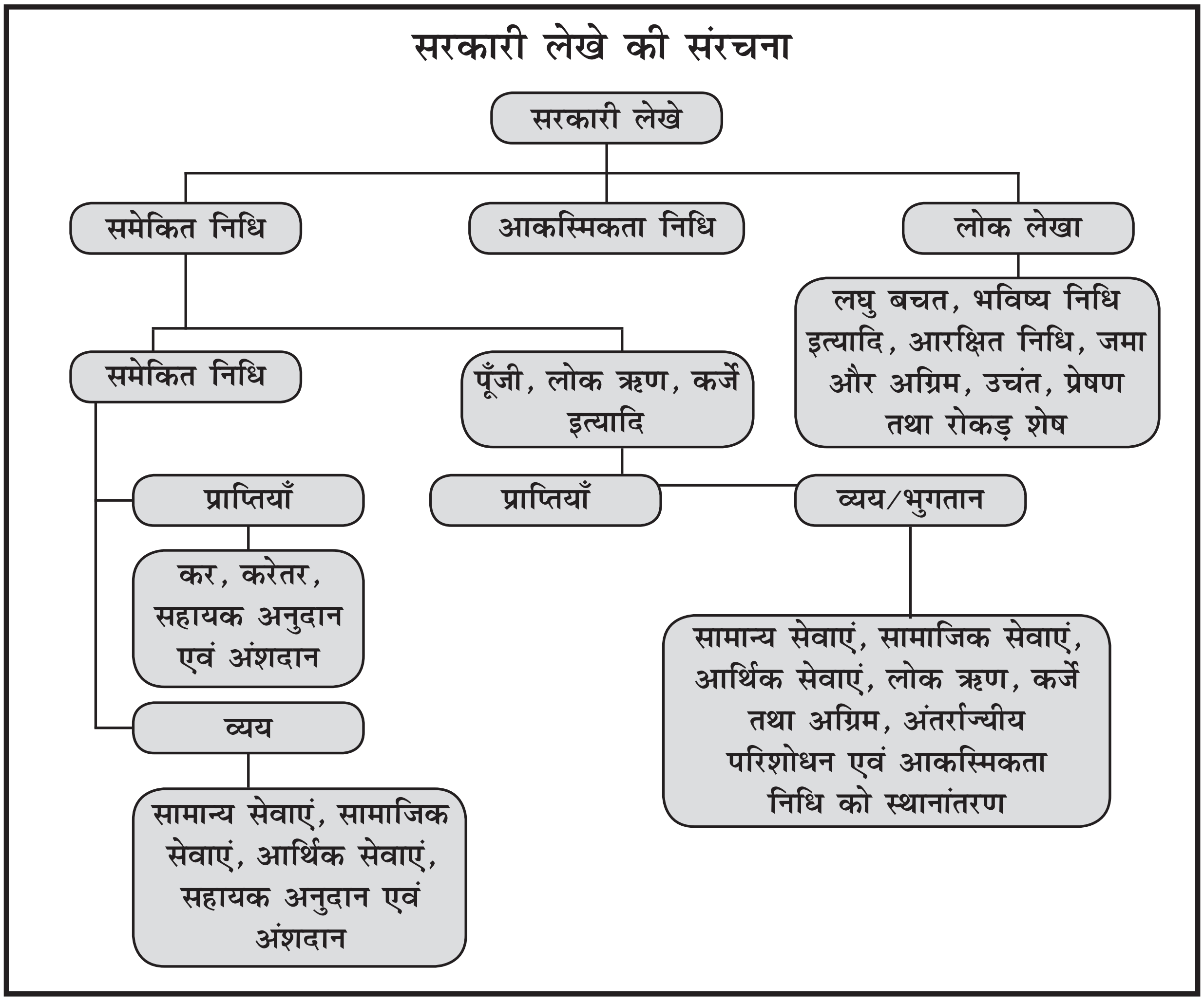

ख. वित्त लेखे में क्या अन्तर्विष्ट है

वित्त लेखे को दो खण्डों में प्रस्तुत किया जाता है।

खण्ड I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, वित्त लेखे की मार्गदर्शिका, 13 विवरणों, जो राज्य सरकार के चालु वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय स्थिति तथा लेनदेनों का संक्षिप्त ब्यौरा दर्शाता है एवं वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं। खण्ड I में 13 विवरणों एवं वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

1. **वित्तीय स्थिति का विवरण :** राज्य सरकार की परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के समेकित आंकड़े, जैसा कि वर्ष के अन्त में था, तथा विगत वर्ष के अन्त की स्थिति के साथ तुलनात्मक रूप में इस विवरण में दर्शाया जाता है।

2. **प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण:** इस विवरण में, तीनों भागों यथानामित समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे के अंतर्गत जिसमें की सरकारी लेखे रखे जाते हैं, वर्ष के दौरान राज्य सरकार के सभी प्राप्तियों एवं व्ययों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त इस विवरण में एक अनुबंध जो कि सरकार के

लेखा शेषों (निवेश सहित) को दर्शाता है, सम्मिलित है। यह अनुबंध सरकार के अर्थोपाय स्थिति को विस्तृत रूप में दर्शाता है।

3. **प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि):** यह विवरण राज्य सरकार के राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों तथा उधारों सरकार द्वारा दिए गए उधारों की वापसियाँ को दर्शाता है। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड-II में विस्तृत विवरण सं. 14, 17 तथा 18 के सदृश है।

4. **व्यय का विवरण (समेकित निधि):** वित्त लेखे के सामान्यतः लघु शीर्ष स्तर तक के प्रस्तुतीकरण से भिन्न इस विवरण में व्यय की प्रकृति तथा गतिविधि (व्यय का उद्देश्य) का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया जाता है। यह विवरण खण्ड II के विवरण सं. 15, 16, 17 एवं 18 के सदृश है।

5. **प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण :** यह विवरण खण्ड II के विस्तृत विवरण सं. 16 के सदृश है।

6. **उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण :** सरकार के उधार में, सरकार द्वारा उगाहे गए बाजार कर्जे (आन्तरिक ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त 'कर्जे तथा अग्रिम' शामिल हैं। 'अन्य दायित्वों' में 'लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि', 'आरक्षित निधियाँ' तथा 'जमा' सम्मिलित हैं। इस विवरण में उधार-शोधन पर एक टिप्पणी सम्मिलित है तथा यह खण्ड II के विस्तृत विवरण सं. 17 के सदृश है।

7. **सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण:** यह विवरण राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के कर्जदारों जैसे कि सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायतशासी तथा अन्य निकायों/प्राधिकारों एवं व्यक्तिगत प्राप्तकर्ताओं (सरकारी सेवकों सहित) को दिए गए सभी उधार तथा अग्रिमों को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड II के विस्तृत विवरण सं. 18 के सदृश है।

8. **सरकार के निवेशों का विवरण :** यह विवरण सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों के इक्विटी पूंजी (Equity capital) में राज्य सरकार के निवेश को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड II के विस्तृत विवरण सं. 19 के सदृश है।

9. **सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण :** यह विवरण राज्य सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों द्वारा उगाहे गए ऋणों के लिए मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान पर दिए गए गारंटियों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करता है। यह विवरण भाग II के विस्तृत विवरण सं. 20 के सदृश है।

10. **सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान का विवरण :** राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के सहायता अनुदान प्राप्तकर्ताओं जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों स्वायतशासी तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तियों को दिए गए सहायता अनुदानों को दर्शाता है। परिशिष्ट III में प्राप्तकर्ता संस्थानों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है।

11. **दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण :** यह विवरण वित्त लेखे में दर्शाए गए निवल आँकड़ों को, विनियोग लेखे में दर्शाए गए सकल आँकड़ों के साथ होने वाले अनुरूपता के लिए सहायता करता है।

12. **राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्त्रोतों तथा उपयोग का विवरण:** यह विवरण इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत ही चुकाया जाना चाहिए, जबकि

वर्ष के पूंजीगत व्यय को राजस्व अधिक्य, लोक लेखे में निवल जमा शेष, वर्ष के आरंभ में रोकड़ शेष तथा उधार के द्वारा किया जाना चाहिए।

13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश :** यह विवरण लेखे की शुद्धता को साबित करने में सहायता करता है। यह विवरण, खण्ड II के विस्तृत विवरण सं. 14,15,16,17,18 तथा 21 के सदृश है।

वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ:

वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ प्रकटनों एवं व्याखात्मक टिप्पणियों को उपलब्ध कराता है, जो अतिरिक्त सूचनाओं / लेने-देनों के संदर्भ में व्याख्या, लेन-देनों के प्रकार, शेषों आदि से अभिप्रेत है, जिससे वित्त लेखे के उपयोगेकर्त्ताओं/ स्टेकहोल्डरों को सहायता मिल सकती है।

महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ, बजट का आधार एवं वित्तीय सूचनाओं सहित, भारतीय सरकारी लेखाकरण मानकों (आई.जी.ए.एस.) के अपेक्षा के अनुरूप, लेखे के फार्म, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय के बीच वर्गीकरण, पूर्णांकन, आवधिक समायोजनों आदि को वित्त लेखे के खण्ड-I में वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ को एक भाग के रूप में शामिल किया गया है।

वित्त लेखे के खण्ड II में दो भाग समाहित हैं-भाग I में 9 विस्तृत विवरण तथा भाग II में 13 परिशिष्ट हैं

खण्ड II का भाग I

14. **लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण, वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण सं. 3 के सदृश है।

15. **लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण :** यह विवरण, जो खण्ड I के संक्षिप्त विवरण सं. 4 के सदृश है, राज्य सरकार के राजस्व व्यय को दर्शाता है। प्रभारित एवं मतदेय व्ययों को पृथक रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

16. **लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण :** यह विवरण जो खण्ड I के संक्षिप्त विवरण सं. 5 के सदृश है, राज्य सरकार के पूंजीगत व्ययों (वर्ष के दौरान तथा समेकित रूप में) प्रदर्शित करता है। प्रभारित एवं मतदेय व्ययों के पृथक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट योजनाओ के मामलें में लघु शीर्ष के स्तर तक के पूँजीगत व्यय को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किए जाने हेतु ये विवरण उपशीर्ष के स्तर तक को दर्शाता है।

17. **उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण, जो कि खण्ड I के संक्षिप्त विवरण सं. 6 के सदृश है, राज्य सरकार के द्वारा उगाहे गए सभी तरह के ऋणों (बाजार ऋण, बॉन्ड्स, केन्द्रीय सरकार के द्वारा ऋण, वित्तीय संस्थानों के द्वारा ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ इत्यादि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम का विस्तृत विवरण दर्शाता है। यह विवरण ऋण से संबंधित सूचनाओं को तीन स्तरों में प्रस्तुत करता है: (क) व्यक्तिगत ऋण का विस्तृत विवरण (ख) मैचुरिटी प्रोफाइल्स, तथा विभिन्न वर्षो में प्रत्येक कर्जे के विरूद्ध भुगतेय राशि तथा (ग) बकाया ऋणों का ब्याज दर प्रोफाईल एवं अनुबंध में दर्शाये गये बाजार कर्जे।

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विस्तृत विवरण : यह विवरण खण्ड I में संक्षिप्त विवरण सं. 7 के सदृश है।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण : यह विवरण वर्ष के दौरन निकाय-वार तथा मुख्य एवं लघु शीर्ष-वार विस्तृत निवेश, जहाँ विवरण सं. 16 तथा 19 के बीच की विसंगति हो, को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड I के विवरण सं. 8 के सदृश है।

20. सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विस्तृत विवरण : यह विवरण निकाय-वार सरकारी गारंटियों को विस्तार से दर्शाता है। यह विवरण खण्ड I के विवरण सं. 9 के सदृश है।

21. आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण : यह विवरण आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत लघुशीर्ष स्तर पर अपरिशोधित राशियों का ब्यौरा, वर्ष के दौरान लोक लेखे के लेनदेनों की समेकित स्थिति, तथा वर्ष के अन्त में बकाया शेषों को दर्शाता है।

22. कर्णांकित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरण : यह विवरण आरक्षित निधियों एवं जमा (लोक लेखा) से विस्तृत निवेश को दर्शाता है।

खण्ड II का भाग II

भाग II में, 13 परिशिष्ट, जिसमें विभिन्न मदों, वेतन, सबसिडी, सहायक अनुदान, बाह्य पोषित परियोजनाएँ, इत्यादि समाहित हैं। यह विस्तृत विवरण लेखे के उप शीर्ष स्तर या उससे नीचे (लघु शीर्ष स्तर से नीचे) तक प्रस्तुत किया जाता है जिसके कारण सामान्यतः वित्त लेखे में उसे नहीं दर्शाया जाता है। परिशिष्टों की एक विस्तृत सूची खण्ड I एवं II में 'विषय-सूची' पर दर्शाया जाता है। यह विवरण एवं वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ परिशिष्टों के साथ पठित होने पर वर्ष के लिए सरकार के प्राप्तियों एवं व्ययों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करता है।

ग. सुलभ गणक

यह अनुभाग खण्ड I में दर्शाए गए संक्षिप्त विवरणों को खण्ड II में दर्शाए गए विस्तृत विवरणों तथा परिशिष्टों से जोड़ता है (वैसे परिशिष्ट जिनका सीधा सम्पर्क संक्षिप्त विवरणों से नहीं है, उन्हें नीचे नहीं दर्शाया गया है)।

	(खण्ड I)	(खण्ड II)	
मानक	**संक्षिप्त विवरण**	**विस्तृत विवरण**	**परिशिष्ट**
राजस्व प्राप्तियाँ (प्राप्त अनुदानों सहित), पूँजीगत प्राप्तियाँ	2, 3	14	
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन), II (सब्सिडी)
सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान	2, 10	---	III (सहायक अनुदान)
पूंजीगत व्यय	1, 2, 4, 5,12	16	I (वेतन)

1. वित्तीय स्थिति का विवरण

परिसम्पत्तियां [1]	संदर्भ (क्रम संख्या) लेखे पर टिप्पणियाँ	संदर्भ (क्रम संख्या) विवरणी	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक
				(₹ करोड़ में)
Cash				
(i) कोषागारों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		21	0.00	0.00
(ii) विभागीय शेष		21	38.67	38.17
(iii) स्थायी अग्रदाय		21	0.16	0.16
(iv) रोकड़ शेष निवेश		21	4,480.63	5,149.41
(v) भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा (यदि शेष जमा हो तो घटाव चिन्ह दें।)	परिच्छेद 5 (vii)	21	149.37	91.07
(vi) उद्धिष्ट निधियों का निवेश [2]		22	903.87	1,403.87
पूंजीगत व्यय				
(i) कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश		8,16,19	2,130.70	2,363.84
(ii) अन्य पूंजीगत व्यय [3]		5, 16	1,03,263.88	1,17,046.34
(iii) अन्तर्राज्यीय परिशोधन			0.00	0.00
आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)	परिच्छेद 4	21	0.00	0.00
कर्ज एवं पेशगियाँ		7, 18	24,348.48	28,513.21
विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम		21	19.67	17.66

1. परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े इकट्ठे है। कृपया अनुभाग "वित्त लेखे पर टिप्पणियां" का नोट 1 (iv) भी देखें।

2. उद्धिष्ट निधियों में से किए गए कम्पनियों आदि का हिस्सा पूँजी में किये गए निवेश को पूँजीगत व्यय में न दर्शा कर "उद्धिष्ट निधियों से किये गए निवेशों" के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

3. वर्ष 2017-18 के दौरान पूँजीगत प्राप्ति के रूप में प्राप्त ₹25.09 करोड़ को अन्य पूँजीगत व्यय से घटाया गया है।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण - क्रमशः

परिसम्पत्तियां [1]	संदर्भ (क्रम संख्या)		31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक
	लेखे पर टिप्पणियाँ	विवरणी		
				(₹ *करोड़ में*)
उचंत एवं विविध शेष [4]		21	0.00	0.00
प्रेषण शेष	परिच्छेद 5 (iii)	12, 21	0.00	0.00
प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य			0.00	0.00
जोड़			**1,35,335.43**	**1,54,623.73**

[1] परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े इकट्ठे है। कृपया अनुभाग ''वित्त लेखे पर टिप्पणियां'' का नोट 1 (iv) भी देखें।

[4] इस विवरणी में लाईन मद ''ऊचंत एवं विविध शेष'' में ''रोकड़ शेष निवेश लेखा'' को शामिल न कर उसे उपर अलग से दिखाया गया है। यद्यपि यह इसी खण्ड में इन लेखाओं में अन्यत्र शामिल किया गया है।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण - क्रमशः

परिसम्पत्तियां [1]	संदर्भ (क्रम संख्या)		31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक
	लेखे पर टिप्पणियाँ	विवरणी		
				(₹ *करोड़ में*)
उधार (लोक ऋण)				
(i) आतंरिक ऋण		6, 17	74,538.31	73,580.43
(ii) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम				
(क) योजनेतर कर्ज		6, 17	10.52	8.80
(ख) राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज		6, 17	7,982.70	11,355.15
(iii) अन्तर्राज्यीय परिशोधन			0.00	0.00
आकस्मिकता निधि (स्थाई काया)	परिच्छेद 4	21	500.00	500.00
लोक लेखा का दायित्व				
(i) अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आदि		12, 17, 21	1,001.19	1,016.98
(ii) जमा		12, 17, 21	23,609.29	26,955.09
(iii) आरक्षित निधियां	परिच्छेद 5 (ii)	12, 21, 22	6,844.35	6,535.66
(iv) प्रेषण शेष		13, 21	112.64	76.55
(v) उचंत और विविध शेष [4]	परिच्छेद 5 (iii)	12, 21	117.65	412.70
व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य [5]			**20,618.78**	**34,182.37**
जोड़			**1,35,335.43**	**1,54,623.73**

[4] ऊचंत एवं विविध शेष में रोकड़ शेष निवेश लेखा शामिल नहीं है।

[5] प्राप्तियों पर व्यय अथवा व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य, चालू वर्ष के राजकोषीय/राजस्व घाटे से भिन्न है।

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण

	प्राप्तियां			संवितरण	
	2022-23	2021-22		2022-23	2021-22
		भाग - I समेकित निधि			
		अनुभाग - अ राजस्व			
	(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*	
राजस्व प्राप्तियां *(संदर्भ-विवरण 3 एवं 14)*			**राजस्व व्यय** *(संदर्भ-विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)*		
राज्य का निजी राजस्व	**37,947.56**	**31,320.36**			
(i) कर राजस्व (राज्य द्वारा उगाहा गया) *(संदर्भ-विवरण 3 एवं 14)*	25,117.51	21,289.61	**वेतन** [1] *(संदर्भ-विवरण 4-ख एवं परिशिष्ट -I)*	14,852.36	13,928.81
(ii)करेतर राजस्व *(संदर्भ-विवरण 3 एवं 14)*	12,830.05	10,030.75	**सहायक अनुदान** [2] *(संदर्भ-विवरण 10 एवं परिशिष्ट -III)*	20,054.03	19,626.95
			सब्सिडी *(संदर्भ-परिशिष्ट -II)*	4,087.23	5,652.81
ब्याज प्राप्तियां *(संदर्भ-विवरण 3 एवं 14)*	282.02	95.54	**सामान्य सेवाएं** *(संदर्भ-विवरण 4 एवं 15)*	**16,775.23**	**15,557.31**
अन्य *(संदर्भ-विवरण 3)*	12,548.04	9,935.21	ब्याज की अदायगी तथा ऋण *(संदर्भ-विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)*	6,738.29	6,486.05
			पेंशन *(संदूर्भ-विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)*	7,803.17	7,614.30
			अन्य *(संदर्भ-विवरण 4-ख)*	2,233.77	1,456.96

[1] वेतन, सब्सिडी एवं सहायता अनुदान के आंकड़ों का एक समेकित आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए सभी खण्डों को जोड़ दिया जाता है। इस विवरणी में "सामाजिक", "सामान्य" एवं "आर्थिक" सेवाओं में दिए गए व्यय के आंकड़ों में वेतन, आर्थिक सहायता एवं सहायक अनुदान की राशि सम्मिलित नहीं है। (पाद टिप्पणी -2 में स्पष्ट किया गया है।)

[2] सरकार द्वारा सहायता अनुदान संविधिक नियमों, कंपनियों, स्वायत्त निकायों, आदि को दिए जाते हैं जिन्हें एक लाइन मद में ऊपर दर्शाया गया है। ये अनुदान स्थानीय निकायों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति एवं करों, शुल्कों का समनुदेशन से भिन्न है तथा एक अलग लाइन मद "स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन" के अंतर्गत दर्शाया गया है। इसमें मुख्य शीर्षो '4215', '4225' एवं '4515' (पूँजीगत व्यय) के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान सहायक अनुदान के रूप में आहरित ₹2,140.01 करोड़ शामिल नहीं है।

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण - क्रमशः

	प्राप्तियां			संवितरण	
	2022-23	2021-22		2022-23	2021-22
	(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*	
			सामाजिक सेवाएं *(संदर्भ-विवरण 4-क एवं 15)*	9,098.15	7,112.58
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा *(संदर्भ-विवरण 3 एवं 14)*	31,404.12	27,734.65	**आर्थिक सेवाए** *(संदर्भ-विवरण 4-क एवं 15)*	1,814.63	899.46
केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान *(संदर्भ-विवरण 3 एवं 14)*	10,893.54	10,666.85	**स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन** *(संदर्भ-विवरण 4-क एवं 15)*	0.00	0.00
कुल राजस्व प्राप्तियां	**80,245.22**	**69,721.86**	**कुल राजस्व व्यय**	**66,681.63**	**62,777.92**
राजस्व घाटा	**0.00**	**0.00**	**राजस्व अधिशेष**	**13,563.59**	**69,43.94**
			अनुभाग - ब पूंजी		
पूंजीगत प्राप्तियां *(संदर्भ-विवरण 3 एवं 14)*	**0.00**	**0.00**	**पूंजीगत व्यय**[3] *(संदर्भ-विवरण 4-क, 4-ख एवं 16)*		
			सामान्य सेवाएं *(संदर्भ-विवरण 4-क एवं 16)*	872.98	734.30
			सामाजिक सेवाएं[4] *(संदर्भ-विवरण 4-क एवं 16)*	5,220.99	1,595.26
			आर्थिक सेवाएं *(संदर्भ-विवरण 4-क एवं 16)*	7,921.62	7,047.34
कुल पूंजीगत प्राप्तियां	**0.00**	**0.00**	**कुल पूंजीगत व्यय**	**14,015.59**	**9,376.90**
कर्जे एवं पेशगियाँ की वापसी *(संदर्भ-विवरण 3,7 एवं 18)*	46.41	1,291.73	**संवितरित कर्जे एवं पेशगियाँ** *(संदर्भ-विवरण 4-क, 7 एवं 18)*		
			सामाजिक सेवाएं *(संदर्भ-विवरण 4-क, 7 एवं 18)*	2.14	16.27
			आर्थिक सेवाएं *(संदर्भ-विवरण 4-क, 7 एवं 18)*	4,168.45	1,415.03
			अन्य *(संदर्भ-विवरण 7)*	40.55	31.68
कुल कर्जे एवं पेशगियाँ की वापसी	**46.41**	**1,291.73**	**कुल संवितरित कर्जे एवं पेशगियाँ**	**4,211.14**	**1,462.98**

[3] वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत 'वेतन' व्यय के रूप में मुख्य शीर्ष '4515' के अंतर्गत क्रमशः ₹50.47 करोड़ एवं ₹50.68 करोड़ शामिल है। इसमें अन्य व्यय एवं यात्रा व्यय भी शामिल है।

[4] इसमें वर्ष 2022-23 के लिये मुख्य शीर्षों '4215', '4225' एवं '4515' के अंतर्गत सहायक अनुदान के रूप में आहरित ₹2,140.01 करोड़ शामिल है।

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण - क्रमशः

	प्राप्तियां			संवितरण	
	2022-23	2021-22		2022-23	2021-22
	(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*	
लोक ऋण प्राप्तियां			**लोक ऋण का पुनर्भुगतान**		
(संदर्भ-विवरण 3, 6 एवं 17)			*(संदर्भ-विवरण 4-क, 6 एवं 17)*		
आन्तरिक ऋण (बाजार कर्ज, राष्ट्रीय अल्प बचत निधियां आदि)	5,515.20	6,594.22	आन्तरिक ऋण (बाजार कर्ज, राष्ट्रीय अल्प बचत निधियां आदि)	6,473.08	4,012.80
(संदर्भ-विवरण 3, 6 एवं 17)			*(संदर्भ-विवरण 4-क, 6 एवं 17)*		
भारत सरकार से कर्ज	**3,627.10**	**3,245.65**	भारत सरकार से कर्ज	256.38	234.28
(संदर्भ-विवरण 3, 6 एवं 17)			*(संदर्भ-विवरण 4-क, 6 एवं 17)*		
कुल लोक ऋण प्राप्तियां	**9,142.30**	**9,839.87**	**कुल लोक ऋण का पुनर्भुगतान**	**6,729.46**	**4,247.08**
अन्तर्राज्यीय परिशोधन का निवल	0.00	0.00	अन्तर्राज्यीय परिशोधन का निवल	0.00	0.00
कुल पूंजीगत प्राप्तियां	**9,188.71**	**11,131.60**	**कुल पूंजीगत व्यय**	**24,956.19**	**15,086.96**
कुल प्राप्तियां समेकित निधि	**89,433.93**	**80,853.46**	**कुल व्यय समेकित निधि**	**91,637.82**	**77,864.88**
(संदर्भ-विवरण 3)			*(संदर्भ-विवरण 4)*		
समेकित निधि में कमी	2,203.89	0.00	**समेकित निधि में अधिशेष**	0.00	2,988.58
			भाग- II आकस्मिकता निधि		
आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	**आकस्मिकता निधि**	0.00	0.00
(संदर्भ-विवरण 21)			*(संदर्भ-विवरण 21)*		

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण - क्रमशः

	प्राप्तियां			संवितरण	
	2022-23	**2021-22**		**2022-23**	**2021-22**
	(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*	
			भाग III - लोक लेखा [5]		
अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि *(संदर्भ-विवरण 21)*	1,398.48	1,172.20	**अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि** *(संदर्भ-विवरण 21)*	1,381.69	1,365.41
आरक्षित एवं शोधन निधियां *(संदर्भ-विवरण 21)*	861.56	1,025.60	**आरक्षित एवं शोधन निधियां** *(संदर्भ-विवरण 21)*	1,670.25	1,405.52
जमा *(संदर्भ-विवरण 21)*	20,455.01	13,585.74	**जमा** *(संदर्भ-विवरण 21)*	17,109.22	14,307.90
पेशगियाँ *(संदर्भ-विवरण 21)*	815.62	556.58	**पेशगियाँ** *(संदर्भ-विवरण 21)*	813.60	556.59
उचंत एवं विविध [6] *(संदर्भ-विवरण 21)*	1,82,584.34	83,534.41	**उचंत एवं विविध [6]** *(संदर्भ-विवरण 21)*	1,82,957.57	85,225.08
प्रेषण *(संदर्भ-विवरण 21)*	9,397.23	8,159.71	**प्रेषण** *(संदर्भ-विवरण 21)*	9,433.32	8,173.53
कुल प्राप्तियां लोक लेखा *(संदर्भ-विवरण 21)*	**2,15,511.24**	**1,08,034.24**	**कुल व्यय लोक लेखा** *(संदर्भ-विवरण 21)*	**2,13,365.65**	**1,11,034.03**
लोक लेखा में कमी	**0.00**	**2,999.79**	**लोक लेखा में अधिशेष**	**2,145.59**	**0.00**
अथ रोकड़ शेष	**149.37**	**(-)160.55**	**अंत रोकड़ शेष**	**91.07**	**149.37**
रोकड़ शेष में वृद्धि	**0.00**	**0.00**	**रोकड़ शेष में कमी**	**58.30**	**11.18**

5 विस्तृत ब्योरे के लिए कृपया खण्ड II में विवरणी सं. 21 देखें।

6 ''उचंत एवं विविध'' में ''अन्य लेखे'' जैसे रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादि शामिल है। इन ''अन्य लेखे'' के कारण आँकड़े बहुत बड़े दिखाई दे सकते हैं। विस्तृत ब्यौरे कृपया विवरणी सं. 21 में देखा जाए।

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण- क्रमशः
विवरण संख्या - 2 का अनुबंध

रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक
	(₹ करोड़ में)	
(क) सामान्य रोकड़ शेष		
(1) रिज़र्व बैंक के पास जमा [1]	149.37	91.07
(2) रोकड़ शेष निवेश लेखा में किया गया निवेश	4,480.63	5,149.41
जोड़ - (क)	**4,630.00**	**5,240.48**
(ख) अन्य रोकड़ शेष और निवेश [2] -		
(1) विभागीय अधिकारियों अर्थात् वन और लोक-निर्माण विभाग के अधिकारियों के पास रोकड़	38.67	38.17
(2) विभाग के अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम राशियाँ	0.16	0.16
(3) कर्णान्कित निधियों का निवेश	903.87	1,403.87
जोड़ - (ख)	**942.70**	**1,442.20**
जोड़ - (क) और (ख)	**5,572.70**	**6,682.68**

1 शीर्ष 'रिजर्व बैंक में जमा' के अंतर्गत शेष, 10 अप्रैल 2023 तक भारतीय रिजर्व बैंक को दिए गए परामर्श के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित अन्तर्शासकीय मौद्रिक समायोजन को लेखे में समाविष्ट करने के पश्चात् ही निकला जा सकता है।

"रिजर्व बैंक के पास जमा" के संबंध में लेखे में परिलक्षित आँकड़े (₹91.07 करोड़ नामे) और रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किये गये आँकड़े (₹95.29 करोड़ नामे) के बीच ₹186.36 करोड़ (निवल नामे) का अंतर था, जो रोकड़ शेष में सम्मिलित है। वर्ष 2022-23 के लिये ₹186.36 करोड (नामे) के विसंगति विवरण को भारतीय रिवर्ज बैंक, राँची को मिलान करने एवं भारतीय रिजर्व बैंक जमा शेष में आवश्यक सुधार किये जाने हेतु भेज दिया गया है।

2 इस रोकड़ शेष स्थिति में, बैंक खाते में स्थानांतरित अव्ययित शेष शामिल नहीं है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ :-

(क) **रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य :** कोषागारों में रोकड़ तथा भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में जमा एवं पारगमन हेतु प्रेषण, जैसा कि नीचे उल्लेखित है, 'रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य' का निर्माण करते है। शीर्ष 'रिजर्व बैंक में जमा' के अंतर्गत शेष वर्ष के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे का सम्मिलित शेष बतलाते है। सम्पूर्ण रूप से रोकड़ की स्थिति को जानने के लिए, रोकड़ शेषों/आरक्षित निधियों इत्यादि में से कोषागारों, विभागों एवं निवेशों के रोकड़ शेष को 'भारतीय रिजर्व बैंक में जमा' के शेष में जोड़ा जाना चाहिए।

(ख) **दैनिक रोकड़ शेष :** भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किये गए करार के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रत्येक दिन बैंक के पास ₹ 0.45 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना होता है। यदि किसी भी दिन रोकड़ शेष इस न्यूनतम राशि से कम पड़ जाता है, तो इस कमी को समय-समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट लेकर पूरा किया जाता है।

विवरण संख्या - 2 का अनुबंध - क्रमांत
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश - क्रमांत

अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट स्वीकृत करने हेतु दैनिक रोकड़ शेष[3] ज्ञात करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक धारित 14 दिनों का कोषागार विपत्रों सहित लेन-देनों के रिपोर्ट (भारतीय रिजर्व बैंक के काउंटरों पर, अन्तर्शासकीय लेन-देन तथा एजेंसी बैंकों के द्वारा रिपोर्ट किए गए कोषागरों के लेन-देन) के साथ उस दिन के लिए मूल्यांकन करता है। इस प्रकार से ज्ञात किए गए रोकड़ शेष में, 14 दिनों के कोषागार विपत्रों की परिपक्वता, यदि कोई हो, को जोड़ा जाता है और अधिक शेष यदि कोई हो, तो न्यूनतम रोकड़ शेष को पूरा करने के बाद, कोषागार विपत्रों में पुनर्निवेश किया जाता है।

जब रोकड़ शेष इस न्यूनतम शेष या जमा शेष से कम पड़ जाता है और यदि उस दिन कोई भी 14 दिनों का कोषागार विपत्र परिपक्व नहीं हो रहा है, तब भारतीय रिजर्व बैंक, धारित 14 दिनों का कोषागार विपत्र पर पुन: छूट देती है, ताकि काम को पूरा किया जा सके, यदि उस दिन कोई भी धारित 14 दिनों का कोषागार विपत्र नहीं है, तब राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट के लिए आवेदन करती है।

(ग) राज्य सरकार को सामान्य तरीके से अर्थोपाय पेशागियाँ की सीमा 31 मार्च 2022 से ₹1,067.00 करोड़ थी। बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर विशेष अर्थोपाय पेशगियाँ देने पर भी सहमत हो गया है। विशेष अर्थोपाय पेशगियाँ की सीमा को बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया था।

वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ जिस सीमा तक न्यूनतम शेष बरकरार रखा, वह नीचे दिया गया है :-

(i) दिनों की संख्या, जिसमें बिना कोई अग्रिम लिए न्यूनतम शेष बरकरार रखा गया	365
(ii) दिनों की संख्या, जिसमें साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर न्यूनतम शेष बरकरार रखा गया	शून्य
(iii) दिनों की संख्या, जिसमें विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेकर न्यूनतम शेष बरकरार रखा गया	शून्य
(iv) दिनों की संख्या, जिसमें उपरोक्त अग्रिम लेने के बाद भी न्यूनतम शेष से कम था लेकिन कोई ओभरड्राफ्ट्स नहीं लिया गया	शून्य
(v) दिनों की संख्या, जिसमें ओभरड्राफ्ट्स लिया गया था	शून्य

(घ) ₹ 5,149.41 करोड़ का निवेश रोकड़ शेष में से भारत सरकार के प्रतिभूतियों में किया गया। रोकड़ शेष निवेश लेखा में किये गये निवेश पर ₹ 91.14 करोड़ का ब्याज मिला।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा अपनी प्रतिभूतियों में वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 500.00 करोड़ का निवेश किया गया।

(च) उद्दिष्ट निधियों में से किए गए निवेशों का ब्योरा विवरण संख्या 22 में दिया गया है।

[3] उपरोक्त रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा) 31 मार्च को वर्ष के अंत रोकड़ शेष को दर्शाते है, किन्तु इसे 16 अप्रैल तक निकाला जाता है, जो साधारणत: 31 मार्च का दैनिक शेष नहीं है।

3. प्राप्तियों का विवरण
(समेकित निधि)

विवरण		वास्तविकी	
		2022-23	2021-22
	I. राजस्व प्राप्तियाँ		
			(₹ करोड़ में)
A.	**कर राजस्व**	**56,521.63**	**49,024.25**
क. 1	**निजी कर राजस्व**	**25,117.51**	**21,289.61**
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	11,374.02	9,557.40
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,270.53	5,213.40
	राज्य उत्पाद शुल्क	2,056.88	1,806.61
	वाहन कर	1,573.77	1,262.78
	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1,557.26	1,621.21
	भू-राजस्व	1,131.82	791.72
	विद्युत कर तथा शुल्क	1,107.64	987.24
	आय पर अन्य कर तथा व्यय	45.09	46.15
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0.50	3.10
	सेवा कर	0.00	0.00
	कृषि आय पर कर	0.00	0.00
	होटल प्राप्तियां	0.00	0.00
	वस्तु तथा यात्री कर	0.00	0.00
	सम्पदा शुल्क	0.00	0.00
क. 2	**संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का हिस्सा**	**31,404.12**	**27,734.64**
	निगम कर	10,528.99	7,138.76
	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	10,278.76	8,693.39
	आय पर निगम कर से भिन्न कर	8,873.77	8,367.18
	सीमा शुल्क	1,234.53	2,059.54
	संघ उत्पाद शुल्क	387.28	1,088.91
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	51.68	29.02
	धन कर	49.11	356.00
	सेवा कर	0.00	1.78
	आय पर अन्य कर तथा व्यय	0.00	0.06
	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	0.00	0.00
	जोड़ क	**56,521.63**	**49,024.25**

3. प्राप्तियों का विवरण – क्रमशः
(समेकित निधि)

विवरण		वास्तविकी	
		2022-23	2021-22
	I. राजस्व प्राप्तियाँ – क्रमशः		
			(₹ in crore)
ख.	**करेतर राजस्व**	**12,830.05**	**10,030.74**
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	10,035.96	7,535.03
	फसल कृषि – कर्म	1,171.73	482.68
	वानिकी तथा वन्य जीवन	637.86	655.76
	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	282.02	95.54
	अन्य सामान्य सेवाएं	101.56	262.93
	शिक्षा, खेलकुद, कला तथा संस्कृति	91.53	8.78
	ऊर्जा	81.11	3.21
	सिविल पूर्ति	71.31	58.11
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	51.09	107.39
	ब्याज प्राप्तियाँ	48.08	75.05
	शहरी विकास	44.58	112.43
	पुलिस	43.06	42.21
	श्रम तथा रोजगार	35.70	78.61
	अन्य सामाजिक सेवाएं	19.65	131.76
	मुख्य सिंचाई	17.20	27.61
	सड़क तथा सेतु	13.84	16.69
	पशुपालन	13.28	13.59
	उद्योग	11.66	4.33
	मध्यम सिंचाई	10.44	13.34
	अन्य उद्योग	9.54	9.69
	ग्राम तथा लघु उद्योग	7.57	0.25
	सामग्री एवं मुद्रण	5.60	1.60
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	5.54	128.29

3. प्राप्तियों का विवरण - क्रमशः
(समेकित निधि)

विवरण	वास्तविकी	
	2022-23	2021-22
I. राजस्व प्राप्तियाँ - क्रमांत		
		(₹ करोड़ में)
मछली पालन	5.17	6.10
सहकारिता	4.39	0.96
आवास	3.28	1.25
ग्राम तथा लघु उद्योग	2.14	30.30
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का अंशदान तथा वसूलियाँ	1.39	3.32
फसल कृषि-कर्म	1.27	5.34
पशुपालन	1.04	3.15
उद्योग	0.56	9.67
ऊर्जा	0.46	47.91
नागर विमानन	0.14	0.00
डेयरी विकास	0.13	5.90
अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.12	48.15
सूचना एवं प्रसार	0.04	0.02
लोक सेवा आयोग	0.01	3.62
अन्य कृषि कार्यक्रम	0.00	0.16
पर्यटन	0.00	0.01
लाभांश और मुनाफा	0.00	0.00
आपूर्ति एवं निस्तारण	0.00	0.00
परिवार कल्याण	0.00	0.00
जोड़ ख	**12,830.05**	**10,030.74**

3. प्राप्तियों का विवरण - क्रमशः
(समेकित निधि)

विवरण			वास्तविकी	
			2022-23	2021-22
		II. भारत सरकार से अनुदान प्राप्त		
				(₹ करोड़ में)
ग	**केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान**		**10,893.54**	**10,666.86**
ग. 1	**योजनेतर अनुदान**		**0.00**	**0.00**
		संविधान के अन्तर्गत अनुदान (राजस्व आज्ञा का वितरण)	0.00	0.00
		संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अन्तर्गत अनुदान	0.00	0.00
		राज्य आपदा मोचन निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान	0.00	0.00
		राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के अंतर्गत अनुदान	0.00	0.00
		अन्य अनुदान	0.00	0.00
ग. 2	**राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान**		**0.00**	**0.00**
		ब्लॉक अनुदान (बाह्य सम्पोषित परियोजना सहित)	0.00	0.00
		संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अन्तर्गत अनुदान	0.00	0.00
		केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	0.00	0.00
		अन्य अनुदान	0.00	0.00
ग. 3	**केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान**		0.00	0.00
ग. 4	**केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान**		0.00	0.00
ग. 5	**विशेष योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान**		0.00	0.00
ग. 6	**केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान**		**6,871.79**	**6,577.16**
ग. 7	**वित्त आयोग अनुदान**		**1,826.59**	**2,198.30**
ग. 8	**अन्य अंतरण/राज्यों को अनुदान**		**2,195.16**	**1,891.40**
		संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान	48.95	122.64
		केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	81.56	40.79
		जीएसटी लागू करने के कारण हुए राजस्व घाटे का हर्जाना	2,064.65	1,525.63
		केन्द्रीय बिक्री कर के चरणबद्ध तरीके से हटाने के कारण हुए राजस्व घाटे का हर्जाना	0.00	0.00
		अन्य अनुदान	0.00	202.34
	जोड़ - ग		**10,893.54**	**10,666.86**
	जोड़ राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग)		**80,245.22**	**69,721.85**

3. प्राप्तियों का विवरण - क्रमांत
(समेकित निधि)

	विवरण		वास्तविकी 2022-23	वास्तविकी 2021-22
	III. पूंजी, लोक ऋण एवं अन्य प्राप्तियां			
				(₹ करोड़ में)
घ.	**पूंजी प्राप्तियाँ**			
	विनिवेश		0.00	0.00
	अन्य		0.00	0.00
	जोड़ घ		**0.00**	**0.00**
ङ.	**लोक ऋण प्राप्तियाँ**		**9,142.30**	**9,839.87**
ङ 1	**राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण**		**5,515.20**	**6,594.22**
		बाजार कर्ज	4,000.00	5,000.00
		राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज	1,515.20	1,594.00
		राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	0.00	0.22
		अन्य संस्थाओं से कर्ज	0.00	0.00
		राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रभूतियाँ	0.00	0.00
		क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	0.00	0.00
		अर्थोपाय अग्रिम	0.00	0.00
ङ 2	**केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम**		**3,627.10**	**3,245.65**
		योजनेतर कर्ज	0.00	0.00
		राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	3,627.10	3,245.65
		केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.00	0.00
		केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.00	0.00
	जोड़ ङ		**9,142.30**	**9,839.87**
च.	**राज्य सरकार के द्वारा कर्ज तथा अग्रिमों की (वसुलियाँ [1])**		**46.41**	**1,291.73**
छ.	**अन्तर्राज्यीय परिशोधन**		**0.00**	**0.00**
	कुल प्राप्तियाँ समेकित निधि (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)		**89,433.93**	**80,853.45**

[1] खंड -I के विवरण सं. 7 एवं खंड -II के विवरण सं. 18 में विस्तृत विवरण देखें।

4. व्यय का विवरण
(समेकित निधि)

	विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
	क. कार्यात्मक व्यय				
					(₹ करोड़ में)
क	**सामान्य सेवाएँ**				
क.1	**राज्य के अंग**				
	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	125.19	0.00	0.00	125.19
	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	11.56	0.00	0.00	11.56
	मंत्री परिषद	19.81	0.00	0.00	19.81
	न्याय प्रशासन	606.80	0.00	0.00	606.80
	निर्वाचन	140.29	0.00	0.00	140.29
क.2	**राजकोषीय सेवाएँ**				
	भू-राजस्व	500.87	0.00	0.00	500.87
	स्टाम्प एवं पंजीकरण	20.31	0.00	0.00	20.31
	राज्य उत्पाद शुल्क	72.05	0.00	0.00	72.05
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	117.29	0.00	0.00	117.29
	वाहन कर	19.66	0.00	0.00	19.66
	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	2.01	0.00	0.00	2.01
	अन्य राजकोषीय सेवाएँ	2.04	6.22	0.00	8.26
	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	500.00	0.00	0.00	500.00
	ब्याज अदायगियाँ	6,238.29	0.00	0.00	6,238.29
क.3	**प्रशासनिक सेवाएँ**				
	लोक सेवा आयोग	21.61	0.00	0.00	21.61
	सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	121.88	0.00	0.00	121.88
	जिला प्रशासन	381.40	0.00	0.00	381.40
	कोषागार एवं लेखा प्रशासन	15.03	0.00	0.00	15.03
	पुलिस	5,932.66	372.95	0.00	6,305.61
	जेल	218.43	0.00	0.00	218.43
	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	2.03	0.00	0.00	2.03
	लोक निर्माण कार्य	135.59	483.39	0.00	618.98
	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	248.30	10.42	0.00	258.72
क.4	**पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएँ**				
	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृति लाभ	7,803.17	0.00	0.00	7,803.17
	विविध सामान्य सेवाएँ	4.80	0.00	0.00	4.80
	जोड़ सामान्य सेवाएँ	**23,261.07**	**872.98**	**0.00**	**24,134.05**

4. व्यय का विवरण - क्रमशः
(समेकित निधि)

क. कार्यात्मक व्यय- क्रमशः

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
ख.	**सामाजिक सेवाएँ**				
ख.1	**शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति**				
	सामान्य शिक्षा	11,166.76	1,011.79	0.00	12,178.55
	तकनीकी शिक्षा	395.42	0.00	0.00	395.42
	खेलकूद एवं युवा सेवाएँ	76.79	0.00	0.00	76.79
	कला एवं संस्कृति	14.57	0.00	0.00	14.57
ख.2	**स्वास्थ एवं परिवार कल्याण**				
	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ	4,655.43	624.50	0.00	5,279.93
	परिवार कल्याण	5.07	0.00	0.00	5.07
ख.3	**जल पूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास**				
	जल पूर्ति एवं सफाई	318.17	1,840.08	0.00	2,158.25
	आवास	19.10	106.85	0.00	125.95
	शहरी विकास	1,945.13	721.66	2.14	2,668.93
ख.4	**सूचना एवं प्रसारण**				
	सूचना तथा प्रचार	212.48	0.05	0.00	212.53
ख.5	**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण**				
	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,447.64	848.34	0.00	3,295.98
ख.6	**श्रमिक एवं श्रम कल्याण**				
	श्रम तथा रोजगार	515.00	0.00	0.00	515.00
ख.7	**समाज कल्याण एवं पोषण**				
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	5,486.89	42.60	0.00	5,529.49
	पोषण	357.67	0.00	0.00	357.67
	प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	(-)1.47	0.00	0.00	(-)1.47
ख.8	**अन्य**				
	अन्य सामाजिक सेवाएँ	(-)7.24	25.13	0.00	17.89
	सचिवालय - सामाजिक सेवाएँ	32.59	0.00	0.00	32.59
	जोड़ सामाजिक सेवाएँ	**27,640.00**	**5,221.00**	**2.14**	**32,863.14**

4. व्यय का विवरण - क्रमशः
(समेकित निधि)

क. कार्यात्मक व्यय - क्रमशः

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
ग	**आर्थिक सेवाएँ**				
ग.1	**कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप**				
	फसल कृषि कर्म	909.17	15.03	0.00	924.20
	मृदा एवं जल संरक्षण	14.68	456.15	0.00	470.83
	पशुपालन	211.70	9.29	0.00	220.99
	डेयरी विकास	79.78	0.63	0.00	80.41
	मछलीपालन	112.97	16.72	0.00	129.69
	वानिकी एवं वन्य जीवन	698.73	0.00	0.00	698.73
	खाद्य संग्रहण एवं भंडारण	0.00	39.94	0.00	39.94
	कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश	0.00	0.68	0.00	0.68
	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	244.48	0.00	0.00	244.48
	सहकारिता	483.73	116.04	0.00	599.77
	अन्य कृषि कार्यक्रम	2.75	0.00	0.00	2.75
ग.2	**ग्राम विकास**				
	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1,100.59	0.00	0.00	1,100.59
	ग्राम रोजगार	2,881.84	0.00	0.00	2,881.84
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	2,256.42	2,219.58	2.75	4,478.75
ग.3	**सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण**				
	मुख्य सिंचाई	157.00	358.90	0.00	515.90
	मध्यम सिंचाई	148.12	714.76	0.00	862.88
	लघु सिंचाई	72.86	257.78	0.00	330.64
	कमान क्षेत्र विकास	0.00	0.00	0.00	0.00
	बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास	0.00	42.28	0.00	42.28
ग.4	**ऊर्जा**				
	बिजली	3,239.96	153.96	4,057.71	7,451.63
	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	291.12	0.00	0.00	291.12
ग.5	**उद्योग तथा खनिज**				
	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	85.42	0.00	107.99	193.41
	उद्योग	185.51	0.00	0.00	185.51
	अलौह खनन और धातु कर्म उद्योग	38.60	0.00	0.00	38.60
	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
	उद्योगों तथा खनिज पर अन्य परिव्यय	0.00	3.00	0.00	3.00

4. व्यय का विवरण - क्रमशः
(समेकित निधि)

	विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
	क. कार्यात्मक व्यय - क्रमशः				
					(₹ करोड़ में)
ग.6	**परिवहन**				
	नगर विमानन	7.06	52.81	0.00	59.87
	सड़क एवं सेतु	376.99	3,352.85	0.00	3,729.84
	सड़क परिवहन	0.00	18.36	0.00	18.36
	अन्य परिवहन सेवाएँ	165.00	13.50	0.00	178.50
ग.7	**सामान्य आर्थिक सेवाएँ**				
	सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	492.66	0.00	0.00	492.66
	पर्यटन	64.53	78.13	0.00	142.66
	जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	17.11	0.00	0.00	17.11
	सामान्य वित्तीय एवं ट्रेडिंग संस्थानों में निवेश	1,437.92	0.00	0.00	1,437.92
	सिविल पूर्ति	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य आर्थिक सेवाएँ	3.88	1.25	0.00	5.13
	जोड़ आर्थिक सेवाएँ	**15,780.58**	**7,921.64**	**4,168.45**	**27,870.67**
घ.	**ऋण, सहायता अनुदान एवं अंशदान**				
	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	0.00	0.00	0.00	0.00
ङ.	**सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज**				
	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज	0.00	0.00	6,473.08	6,473.08
		0.00	0.00	256.38	256.38
च.	**लोक ऋण**				
	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण				
	केंद्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	0.00	0.00	40.55	40.55
छ.	**अन्तर्राज्यीय परिशोधन**				
	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल ऋण, सहायता अनुदान एवं अंशदान	**0.00**	**0.00**	**6,770.01**	**6,770.01**
	जोड़ समेकित निधि व्यय	**66,681.65**	**14,015.62**	**10,940.60**	**91,637.87***

*पूर्णांकन के कारण वास्तविक आँकड़े से (+) ₹ 0.05 करोड़ का अन्तर है।

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि) - क्रमशः

ख. व्यय की प्रकृति

(₹ करोड़ में)

व्यय का उद्देश्य	2020-21			2021-22			2022-23		
	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 वेतन	12,836.58	48.30	**12,884.88**	13,928.81	50.47	**13,979.28**	14,852.36	50.68	**14,903.04**
2 सहायक अनुदान (गैर-वेतन)	10,835.98	0.00	**10,835.98**	11,353.68	3.00	**11,356.68**	12,851.83	37.25	**12,889.08**
3 मुख्य निर्माण कार्य (राज्य योजना)	0.00	6,813.77	**6,813.77**	0.00	6,990.84	**6,990.84**	0.00	10,593.98	**10,593.98**
4 पूंजीगत परिसम्पति के लिए सहायक अनुदान	6,369.87	0.00	**6,369.87**	5,358.63	0.00	**5,358.63**	3,949.12	2,102.76	**6,051.88**
5 पेंशन प्रभार	6,796.51	0.00	**6,796.51**	7,614.30	0.00	**7,614.30**	7,803.17	0.00	**7,803.17**
6 ब्याज अदायगियाँ	5,790.48	0.00	**5,790.48**	6,286.05	0.00	**6,286.05**	6,238.29	0.00	**6,238.29**
7 सहायक अनुदान (वेतन)	2,871.82	0.00	**2,871.82**	2,914.63	0.00	**2,914.63**	3,253.09	0.00	**3,253.09**
8 उधार का पुनर्भुगतान	0.00	2,744.82	**2,744.82**	0.00	4,247.08	**4,247.08**	0.00	6,729.46	**6,729.46**
9 आपूर्ति एवं सामग्रियाँ	616.68	58.78	**675.46**	931.56	108.38	**1,039.94**	910.87	15.99	**926.86**
10 ऋण एवं अग्रिम	0.00	3,379.77	**3,379.77**	0.00	1,462.98	**1,462.98**	0.00	4,211.14	**4,211.14**
11 अन्य व्यय	814.38	435.58	**1,249.96**	855.64	569.72	**1,425.36**	1,269.10	282.99	**1,552.09**
12 छात्रवृति/ वृति	456.87	0.00	**456.87**	491.87	0.00	**491.87**	1,467.83	2.50	**1,470.33**
13 एक मुश्त	2,735.23	370.04	**3,105.27**	1,284.93	415.68	**1,700.61**	475.90	371.96	**847.86**
14 अनुरक्षण एवं मरम्मति	287.66	0.00	**287.66**	303.86	26.16	**330.02**	509.39	16.07	**525.46**
15 नगद राहत	3,026.27	24.78	**3,051.05**	3,437.82	25.46	**3,463.28**	5,269.31	30.53	**5,299.84**
16 मानदेय	2.90	0.00	**2.90**	445.60	0.00	**445.60**	645.26	0.00	**645.26**
17 सब्सिडी	3,208.09	0.00	**3,208.09**	5,652.81	0.00	**5,652.81**	4,087.23	0.00	**4,087.23**
18 कार्यालय व्यय	190.46	1.00	**191.46**	176.91	1.22	**178.13**	438.64	1.87	**440.51**
19 अंशदान	91.19	7.00	**98.19**	899.27	20.00	**919.27**	502.15	26.50	**528.65**
20 मजदूरी	421.90	0.00	**421.90**	451.02	0.00	**451.02**	599.96	0.00	**599.96**
21 यात्रा व्यय	167.79	0.30	**168.09**	14.55	0.00	**14.55**	313.21	0.00	**313.21**
22 व्यवसायिक सेवाएं	179.24	3.77	**183.01**	197.37	5.85	**203.22**	37.26	19.89	**57.15**
23 मशीन एवं उपस्कर	137.46	14.00	**151.46**	82.56	11.52	**94.08**	204.93	4.83	**209.76**
24 मेडिकल स्टोर आपूर्ति	27.26	0.00	**27.26**	43.27	0.00	**43.27**	56.32	0.00	**56.32**
25 मोटर गाड़ी	111.98	1.54	**113.52**	149.40	3.52	**152.92**	196.31	0.10	**196.41**
26 संविदा भत्ता	226.78	0.00	**226.78**	223.68	0.00	**223.68**	253.03	0.00	**253.03**
27 बिजली व्यय	851.59	0.01	**851.60**	130.47	0.02	**130.49**	537.66	0.02	**537.68**
28 वर्दी	33.77	0.05	**33.82**	39.32	0.04	**39.36**	38.39	0.04	**38.43**

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि) - क्रमांत

व्यय का उद्देश्य	2020-21			2021-22			2022-23		
	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ख. व्यय की प्रकृति - क्रमांत									
									(₹ करोड़ में)
29 राशन की लागत	46.13	0.00	**46.13**	60.86	0.00	**60.86**	61.97	0.00	**61.97**
30 विज्ञापन एवं प्रचार	89.68	0.00	**89.68**	1,41.37	0.26	**1,41.63**	1,03.00	0.00	**1,03.00**
31 प्रशिक्षण भत्ता	3.96	0.50	**4.46**	3.95	0.22	**4.17**	0.32	0.90	**1.22**
32 अन्य प्रशासनिक व्यय	18.57	1.55	**20.12**	15.67	2.02	**17.69**	10.82	1.84	**12.66**
33 सेमिनार, प्रदर्शनी एवं प्रचार	77.80	0.05	**77.85**	89.30	0.23	**89.53**	52.80	0.09	**52.89**
34 केन्द्र प्रायोजित योजना का राज्य हिस्सा	538.54	1.77	**540.31**	3,34.35	0.00	**334.35**	3,31.39	0.00	**331.39**
35 सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ (आई.टी.सी.)	123.80	0.02	**123.82**	1,42.85	0.03	**142.88**	56.83	0.00	**56.83**
36 प्रशिक्षण व्यय	28.60	1.43	**30.03**	24.90	2.90	**27.80**	20.09	2.60	**22.69**
37 किराया, दरें एवं कर/ कर शुल्क का हिस्सा	30.63	0.51	**31.14**	28.81	0.09	**28.90**	34.58	0.03	**34.61**
38 नई मोटर गाड़ी का क्रय	6.65	0.52	**7.17**	6.53	9.26	**15.79**	6.38	11.95	**18.33**
39 निवेश	33.82	54.17	**87.99**	83.44	31.26	**114.70**	101.42	7.73	**109.15**
40 शस्त्र और गोला बारूद	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	3.01	47.15	**50.16**
41 मुद्रण	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	27.16	0.00	**27.16**
42 प्रकाशन	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	61.08	0.00	**61.08**
43 अन्य (प्रत्येक वस्तु शीर्ष के अंतर्गत ₹ 10 करोड़ से कम व्यय शामिल है)	101.42	7.73	**109.15**	115.64	2.70	**118.34**	86.99	0.00	**86.99**
सकल व्यय	59,868.34	14,590.25	**74,458.59**	63,983.44	15,086.97	**79,070.41**	68,020.26	24,963.31	**92,983.57**
घटाएं- वापसियां	604.75	0.00	**604.75**	1,205.52	0.00	**1,205.52**	1,338.63	7.09	**1,345.72**
निवल व्यय	**59,263.59**	**14,590.25**	**73,853.84**	**62,777.92**	**15,086.97**	**77,864.89**	**66,681.63**	**24,956.22**	**91,637.85***

*पूर्णांकन के कारण वास्तविक आँकड़े से (+) ₹ 0.03 करोड़ का अन्तर है।

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 के अंत तक प्रगामी व्यय	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 के अंत तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (–)
1	2	3	4	5	6	7
					(₹ करोड़ में)	
क-	**सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा**					
4047-	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	7.72	274.24	6.22	280.46	(-)19.43
4055-	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	449.06	3,891.85	372.95	4,264.80	(-)16.95
4059-	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	271.78	2,823.26	483.39	3,306.65	77.86
4070-	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5.73	99.87	10.42	110.29	81.85
	जोड़ - क - सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा	**734.29**	**7,089.22**	**872.98**	**7,962.20**	**18.89**
ख-	**सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा**					
(क)	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा					
4202-	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	94.34	3,069.08	1,011.79	4,080.87	972.49
	जोड़ (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा	**94.34**	**3,069.08**	**1,011.79**	**4,080.87**	**972.49**
(ख)	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा					
4210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	488.68	4,362.16	624.50	4,986.66	27.79
	जोड़ (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा	**488.68**	**4,362.16**	**624.50**	**4,986.66**	**27.79**

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण - क्रमशः

मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 के अंत तक प्रगामी व्यय	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 के अंत तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (–)
1	2	3	4	5	6	7
					(₹ करोड़ में)	
ख-	**सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः**					
(ग)	जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा					
4215-	जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	505.11	5,458.21	1,840.08	7,298.29	264.29
4216-	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	85.17	894.16	106.85	1,001.01	25.45
4217-	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	1,378.95	721.66	2,100.61	100.00
	जोड़ (ग) जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा	**590.28**	**7,731.32**	**2,668.59**	**10,399.91**	**352.09**
(घ)	सूचना एवं प्रचार का पूंजीगत लेखा					
4220-	सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	42.39	0.05	42.44	100.00
	जोड़ (घ) सूचना एवं प्रचार का पूंजीगत लेखा	**0.00**	**42.39**	**0.05**	**42.44**	**100.00**
(ङ)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण का पूंजीगत लेखा					
4225-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	364.42	3,262.32	848.34	4,110.66	132.79
	जोड़ (ङ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण का पूंजीगत लेखा	**364.42**	**3,262.32**	**848.34**	**4,110.66**	**132.79**

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण – क्रमशः

मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 के अंत तक प्रगामी व्यय	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 के अंत तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (–)
1	2	3	4	5	6	7
					(₹ करोड़ में)	
ख-	**सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमांत**					
(छ)	समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा					
4235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	11.92	613.39	42.60	655.99	257.38
	जोड़ (छ) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा	**11.92**	**613.39**	**42.60**	**655.99**	**257.38**
(ज)	अन्य समाज कल्याण सेवाओं का पूंजीगत लेखा					
4250-	अन्य समाज कल्याण सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	45.62	239.15	25.13	264.28	(-)44.91
	जोड़ (ज) अन्य समाज कल्याण सेवाओं का पूंजीगत लेखा	**45.62**	**239.15**	**25.13**	**264.28**	**(-)44.91**
	जोड़-ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	**1,595.26**	**19,319.81**	**5,221.00**	**24,540.81**	**227.28**
ग-	**आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा**					
(क)	कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा					
4401-	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	5.47	104.99	15.03	120.02	174.77
4402-	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	198.81	1,317.90	456.15	1,774.05	129.44
4403-	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	6.26	64.64	9.29	73.93	48.40

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण - क्रमशः

मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 के अंत तक प्रगामी व्यय	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 के अंत तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (–)
1	2	3	4	5	6	7
					(₹ करोड़ में)	
ग–	**आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः**					
(क)–	कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा - क्रमांत.					
4404-	डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	0.50	53.56	0.63	54.19	26.00
4405-	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	12.03	277.92	16.72	294.64	38.99
4406-	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	29.30	0.00	29.30	0.00
4408-	खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय	39.25	168.36	39.94	208.30	1.76
4416-	कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश	0.00	0.00	0.68	0.68	100.00
4425-	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	91.42	501.60	116.04	617.64	26.93
	जोड़ (क) कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा	**353.74**	**2,518.27**	**654.48**	**3,172.75**	**85.02**
(ख)	ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा					
4515-	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	1,142.75	22,040.02	2,219.58	24,259.60	94.23
	जोड़ (ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा	**1,142.75**	**22,040.02**	**2,219.58**	**24,259.60**	**94.23**
(घ)	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा					
4700-	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	259.27	4,730.81	358.90	5,089.71	38.43
4701-	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	886.44	6,578.20	714.76	7,292.96	(-)19.37

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण – क्रमशः

मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 के अंत तक प्रगामी व्यय	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 के अंत तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (–)
1	2	3	4	5	6	7
					(₹ करोड़ में)	
ग–	**आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा – क्रमशः**					
(घ)	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा – क्रमांत					
4702-	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	30.52	2,697.56	257.78	2,955.34	744.63
4711-	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	28.03	239.98	42.28	282.26	50.84
	जोड़ (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा	**1,204.26**	**14,246.55**	**1,373.72**	**15,620.27**	**14.07**
(ङ)	ऊर्जा का पूंजीगत लेखा					
4801-	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	87.52	916.75	153.96	1,070.71	75.91
	जोड़ (ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा	**87.52**	**916.75**	**153.96**	**1,070.71**	**75.91**
(च)	उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा					
4853-	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1,000.00	1,007.38	0.00	1,007.38	(-)100.00
4875-	अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	16.76	0.00	16.76	0.00
4885-	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	2.00	33.00	3.00	36.00	50.00
	जोड़ (च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा	**1,002.00**	**1,057.14**	**3.00**	**1,060.14**	**(-)99.70**

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण - क्रमशः

मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 के अंत तक प्रगामी व्यय	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 के अंत तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (–)
1	2	3	4	5	6	7
					(₹ करोड़ में)	
ग-	**आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमांत**					
(छ)	परिवहन का पूंजीगत लेखा					
5053-	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	1.23	559.88	52.81	612.69	4,193.50
5054-	सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3,143.07	36,146.86	3,352.85	39,499.71	6.67
5055-	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	37.82	153.40	18.36	171.76	(-)51.45
5075-	अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	20.00	655.83	13.50	669.33	(-)32.50
	जोड़ (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा	**3,202.12**	**37,515.97**	**3,437.52**	**40,953.49**	**7.35**
(ज)	सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा					
5452-	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	54.95	666.91	78.13	745.04	42.18
5465-	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00
5475-	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	46.93	1.25	48.18	100.00
	जोड़ (ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	**54.95**	**715.92**	**79.38**	**795.30**	**44.46**
	जोड़-ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	**7,047.34**	**79,010.62**	**7,921.64**	**86,932.26**	**12.41**
	कुल जोड़	**9,376.89**	**1,05,419.65**	**14,015.62***	**1,19,435.27**	**49.47**

*पूर्णांकन के कारण वास्तविक आँकड़ें से (+) ₹ 0.03 करोड़ का अंतर है।

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण - क्रमांत

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. पूंजीगत परिव्यय का विस्तृत ब्योरा विवरण संख्या 16 में दिया गया है।
2. सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों में सरकारी निवेश का ब्योरा विवरण संख्या 19 में दिया गया है।
3. उत्तरवर्ती बिहार राज्य तथा झारखण्ड राज्य के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के संयुक्त बिहार का पूंजीगत परिव्यय का बंटवारा नहीं हुआ है।
4. सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और संयुक्त बिहार के समितियों में सरकारी निवेश का बंटवारा उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच नहीं हुआ है।
5. 2022-23 के दौरान सरकारी कम्पनियों, सहकारी बैंक समितियों एवं ग्रामीण बैंको में ₹ 233.14 करोड़ का सरकारी निवेश किया गया। वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के अंत तक विभिन्न इकाईयों के हिस्सा-पूंजी में सरकार का कुल निवेश क्रमशः ₹ 1,111.65 करोड़, ₹ 2,250.22 करोड़ एवं ₹ 2,483.36 करोड़ था, कृपया विवरण संख्या 19 में दिए गए विस्तृत विवरण देखें।
6. उपर्युक्त तीन वर्षों के दौरान लाभांश से संबंधित सूचना निम्नवत है ।

वर्ष	***(₹ करोड़ में)***
2020-21	15.00
2021-22	0.00
2022-23	0.00

7. विभाग द्वारा संचालित सरकारी उपक्रमों के कार्यों के वित्तीय परिणामों का सारांश जैसा कि नवीनतम उपलब्ध प्रोफार्मा लेखे द्वारा प्रकट हुआ :-

उपक्रमों/ योजनाओं का नाम	मुख्य शीर्ष जिसके अन्तर्गत लेखाकरण किया गया	लेखे का वर्ष	पूँजी लगत	लाभ (+) / हानि(-)	पूँजी लगत पर लाभ अथवा हानि का प्रतिशत
			(₹ करोड़ में)		
1	2	3	4	5	6
राज्य सरकार से कोई भी सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2023)।					

6. उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण[1]

	उधारों की प्रकृति	1 अप्रैल 2022 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान वापसियाँ	31 मार्च 2023 को शेष	निवल वृद्धि (+)/ ह्रास (–)		कुल दायित्वों का प्रतिशत
			(₹ करोड़ में)			*राशि*	*प्रतिशत*	
क- लोक ऋण								
6003	**राज्य सरकार का आंतरिक ऋण**	**74,538.31**	**5,515.20**	**6,473.08**	**73,580.43**	**(-)957.88**	**(-)1.29**	**62.12**
	बाजार कर्ज	55,412.69	4,000.00	3,600.00	55,812.69	400.00	0.72	47.12
	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बंध–पत्र	5,002.73	0.00	555.34	4,447.39	(-)555.34	(-)11.10	3.75
	वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	8,069.70	1,515.20	1,548.25	8,036.65	(-)33.05	(-)0.41	6.78
	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	6,017.40	0.00	769.49	5,247.91	(-)769.49	(-)12.79	4.43
	अन्य कर्ज	35.79	0.00	0.00	35.79	0.00	0.00	0.03
6004	**केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम**	**7,993.22**	**3,627.10**	**256.38**	**11,363.94**	**3,370.72**	**42.17**	**9.59**
01	योजनेतर कर्ज	10.53	0.00	1.73	8.80	(-)1.73	(-)16.43	0.01
02	राज्य/ संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	7,982.69	3,627.10	254.65	11,355.14	3,372.45	42.25	9.59
जोड़ क – लोक ऋण		**82,531.53**	**9,142.30**	**6,729.46**	**84,944.37**	**2,412.84**	**2.92**	**71.71**

[1] विस्तृत विवरणी के लिए कृपया खण्ड – II में विवरण संख्या – 17 देखें एवं परिशोधन की व्यवस्था, ऋण शोधन आदि की विस्तृत जानकारी के लिए इस विवरण के साथ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ पृष्ठ संख्या. 31 पर देंखें।

6. उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण - क्रमशः

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण [1]

उधारों की प्रकृति	1 अप्रैल 2022 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान वापसियाँ	31 मार्च 2023 को शेष	निवल वृद्धि (+)/ ह्रास (–)		कुल दायित्वों का प्रतिशत
		(₹ करोड़ में)			राशि	प्रतिशत	
ख - अन्य दायित्व							
लोक लेखा							
अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आदि	1,001.19	1,397.48	1,381.69	1,016.98	15.79	1.58	0.86
ब्याजदेय आरक्षित निधियाँ	6,340.47	361.56	1,170.25	5,531.78	(-)808.69	(-)12.75	4.67
अब्याजदेय आरक्षित निधियाँ [2]	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ब्याज सहित जमा	24.15	341.30	286.51	78.94	54.79	226.87	0.07
ब्याज रहित जमा	23,585.15	20,113.71	16,822.71	26,876.15	3,291.00	13.95	22.69
कुल ख - अन्य दायित्व	**30,950.96**	**22,714.05**	**20,161.16**	**33,503.85**	**2,552.89**	**8.25**	**28.29**
जोड़ लोक ऋण और अन्य दायित्व	**1,13,482.49**	**31,856.35***	**26,890.62**	**1,18,448.22**	**4,965.73**	**4.38**	**100.00**

[1]विस्तृत विवरणी के लिए कृपया खण्ड - II में विवरण संख्या - 17 देखें एवं परिशोधन की व्यवस्था, ऋण शोधन आदि की विस्तृत जानकारी के लिए इस विवरण के साथ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ पृष्ठ संख्या. 31 पर देखें।

[2] यह आँकड़ा आरक्षित निधि से निवेश को समायाजित करने के पश्चात् इस शीर्ष के तहत शुद्ध देनदारियों का प्रतिनिधित्व करता है।

*पूर्णांकन के कारण वास्तविक आँकड़ें से (-) ₹ 0.01 करोड़ का अंतर है।

6. उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण - क्रमशः
व्याख्यातमक टिप्पणियां - विवरण 6

1 **परिशोधन की व्यवस्था :-**

(i) खुला बाजार कर्जे:- राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2022-23 तक 72 ब्याजदेय राज्य विकास ऋण /स्टॉक की उगाही की गई। इसके अलावा सात (07) परिपक्व राज्य विकास ऋण, जो दावा रहित रहे तथा गैर ब्याज ऋण बन गए, भी बकाया पड़े थे। (31 मार्च 2023 को बाजार ऋण की अंतिम शेष ₹ 55,812.69 करोड़ था)।

(ii) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान गारंटी परिशोधन कोष के सृजन किये जाने से सम्बंधित कोई सूचना नहीं है।

2 **अल्प बचत निधि से कर्जे:-** वर्ष 1999-2000 में लघु बचत संग्रहण में से कर्जे जारी करने के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय लघु बचत निधि' के नाम से एक अलग निधि की स्थापना की गयी। वर्ष 2022-23 के दौरान कोई एन.एस.एस.एफ ऋण प्राप्त नहीं हुआ यद्यपि वर्ष के दौरान ₹ 769.49 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया था। वर्ष के अंत में ₹ 5,247.91 करोड़ की राशि का शेष बकाया था, जो कि राज्य सरकार के 31 मार्च 2023 को कुल लोक ऋण का 6.18 *प्रतिशत* था।

3 **भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम, बाजार कर्जे इत्यादि**

(क) **भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम :-** भारत सरकार से कर्ज के रूप में ₹ 3,627.10 करोड़ प्राप्त किया तथा राज्य सरकार ने ₹ 256.38 करोड़ वापस किया। भारत सरकार से प्राप्त कर्ज पर राज्य सरकार द्वारा ₹122.50 करोड़ का ब्याज भुगतान किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार से प्राप्त सभी कर्जों को विधिवत लेखांकित किया गया तथा मूलधन के पूनर्भगतान एवं ब्याज से संबंधित कोई बकाया नहीं है। विवरण संख्या 17 में बकाये ऋणों का विवरण दिया गया है।

(ख) **बाजार कर्जे :-** ये राज्य सरकार द्वारा खुले बाजार से लिए गए दीर्घकालीन ऋण (जो 12 महीने से अधिक चलने वाले) हैं। वर्ष के दौरान चार (04) झारखण्ड विकास ऋण उगाहे गए, जो निम्न है :-

क्रम सं.	कर्ज की राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज दर (%)	विमोचन अवधि	
			माह	वर्ष
1	1,000.00	7.86	नवम्बर	2034
2	1,000.00	7.67	दिसम्बर	2037
3	1,000.00	7.58	दिसम्बर	2031
4	1,000.00	7.63	फरवरी	2030
कुलः	**4,000.00**			

6. उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण - क्रमांत

व्याख्यात्मक टिप्पणियां - विवरण 6 - क्रमांत

4 **ऋण शोधनः**

ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याजः- वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान बकाया ऋण और अन्य दायित्व तथा ब्याज प्रभार, जिसे राजस्व से पूरा किया गया, कुल निवल राशि नीचे दिखाये गए हैं:-

	लेन-देन की प्रकृति	2022-23	2021-22	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ह्रास (–)
				(₹ करोड़ में)
(i)	**वर्ष के अंत में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व**			
	(क) लोक ऋण तथा अल्प बचत, भविष्य निधियां आदि	85,961.35	83,532.72	2,428.63
	(ख) अन्य दायित्व	32,486.87	29,949.77	2,537.10
	जोड़ (i)	**1,18,448.22**	**1,13,482.49**	**4,965.73**
(ii)	**सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज : -**			
	(क) लोक ऋण तथा अल्प बचत, भविष्य निधियां आदि	6,073.48	6,065.54	7.94
	(ख) अन्य दायित्व	164.81	220.50	(-)55.69
	जोड़ (ii)	**6,238.29**	**6,286.04**	**(-)47.75**
(iii)	**घटाए :-**			
	(क) सरकार द्वारा दिए गए कर्जो और पेशगियों पर प्राप्त ब्याज	190.87	36.91	153.96
	(ख) रोकड़ शेष के निवेश पर प्राप्त ब्याज	91.14	58.63	32.51
	जोड़ (iii)	**282.01**	**95.54**	**186.47**
(iv)	**ब्याज प्रभारों की निवल राशि**	**5,956.28**	**6,190.50**	**(-)234.22**
(v)	**कुल राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले में सकल ब्याज (मद (ii)) की प्रतिशतता**	**7.77**	**9.02**	**(-)1.24**
(vi)	**कुल राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले में निवल ब्याज (मद (iv)) की प्रतिशतता**	**7.42**	**8.88**	**(-)1.46**

विवरण संख्या 7- सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण

खण्ड 1 कर्जे एवं पेशगियों का सारांश : ऋणी समुहवार

प्रक्षेत्र/ऋणी समूह[1]	01 अप्रैल 2022 को बकाया राशि [2]	वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि	वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	वर्ष के दौरान बट्टे खाते की गई राशि	31 मार्च 2023 को बकाया राशि	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि/ह्रास	वर्ष के दौरान ब्याज अदायगी
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
						(₹ करोड़ में)	
सामाजिक सेवाएं :-							
(i) पंचायती राज संस्थाएँ	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
(ii) नगरपालिकाएँ/नगर परिषद/नगर निगम	153.80	0.00	0.00	0.00	153.80	0.00	0.00
(iii) शहरी विकास प्राधिकरण	563.75	2.14	0.00	0.00	565.89	2.14	0.00
(iv) आवास बोर्ड	73.87	0.00	0.00	0.00	73.87	0.00	0.00
(v) अन्य	(-)0.49	0.00	0.16	0.00	(-) 0.65 [2]	(-)0.16	0.00
जोड़- सामाजिक सेवाएँ	**791.68**	**2.14**	**0.16**	**0.00**	**793.66**	**1.98**	**0.00**

[1] कृपया विस्तृत विवरण हेतु खण्ड II के विवरण संख्या 18 देखें ।

[2] उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के लिए संयुक्त बिहार राज्य के शेष का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। अत: ऋणात्मक आंकड़े वहाँ शामिल हुए हैं जहाँ शेषों को स्थानान्तरित नहीं किया गया है, परन्तु वसूलियाँ प्राप्त हुई है (अगस्त 2023)।

विवरण संख्या 7– सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण – क्रमशः

खण्ड 1 कर्जे एवं पेशगियों का सारांश : ऋणी समुहवार

(₹ करोड़ में)

	प्रक्षेत्र/ऋणी समूह[1]	01 अप्रैल 2022 को बकाया राशि [2]	वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि	वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	वर्ष के दौरान बट्टे खाते की गई राशि	31 मार्च 2023 को बकाया राशि	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि/ह्रास	वर्ष के दौरान ब्याज अदायगी
	1	2	3	4	5	6	7	8
	आर्थिक सेवाएँ							
(i)	पंचायती राज संस्थाएँ	19.12	0.00	0.00	0.00	19.12	0.00	0.00
(ii)	नगरपालिकाएँ/नगर परिषद/नगर निगम	8.41	2.75	0.00	0.00	11.16	2.75	0.00
(iii)	सांविधिक निगमें [3]	23,380.38	4,057.71	0.00	0.00	27,438.09	4,057.71	0.00
(iv)	सरकारी कम्पनियाँ	115.58	0.00	0.00	0.00	115.58	0.00	0.00
(v)	सहकारी समितियाँ/सहकारी निगमें/बैंक	63.47	0.00	0.03	0.00	63.44	(-)0.03	0.00
(vi)	अन्य	0.00	107.99	0.00	0.00	107.99	107.99	0.00
	जोड़ - आर्थिक सेवाएँ	**23,586.96**	**4,168.45**	**0.03**	**0.00**	**27,755.38**	**4,168.42**	**0.00**
	विविध प्रयोजन हेतु ऋण							
(i)	सरकारी सेवकों	(-)29.39	40.55	46.22	0.00	(-)35.06	(-)5.67	0.00
(ii)	विविध प्रयोजन हेतु ऋण	(-)0.77	0.00	0.00	0.00	(-)0.77 [2]	0.00	0.00
	जोड़ - विविध प्रयोजन हेतु ऋण	**(-)30.16**	**40.55**	**46.22**	**0.00**	**(-)35.83**	**(-)5.67**	**0.00**
	जोड़ - कर्जे एवं पेशगियाँ [4]	**24,348.48**	**4,211.14**	**46.41**	**0.00**	**28,513.21**	**4,164.73**	**0.00**

[1] कृपया विस्तृत विवरण हेतु खण्ड II के विवरण संख्या 18 देखें ।

[2] उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के लिए संयुक्त बिहार राज्य के शेष का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। अत: ऋणात्मक आंकड़े वहाँ शामिल हुए हैं जहाँ शेषों को स्थानान्तरित नहीं किया गया है, परन्तु वसूलियाँ प्राप्त हुई है (अगस्त 2023)।

[3] इसमें जे.एस.इ.बी. के विरूद्ध ₹ 7,222.18 करोड़ की बकाया राशि शामिल है।

[4] विवरण संख्या 18 के अनुसार अथ शेष को पुनरिक्षित कर लिया गया है।

विवरण संख्या 7– सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण – क्रमशः

निम्नलिखित मामलों मे राज्य सरकार द्वारा ऋण मे स्थायित्व के रूप में ऋण स्वीकृत किया गया

क्रम संख्या	ऋण स्वत्व	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति आदेश संख्या	राशि	ब्याज दर
ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं हैं					

खण्ड 2 ऋणों एवं पेशगियों का सारांश : समूहवार खण्ड

(₹ करोड़ में)

खण्ड	1 अप्रैल 2022 को शेष	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान अदायगियाँ	अप्राप्य ऋण एवं पेशगियों का अपलेखन	31 मार्च 2023 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ ह्रास	बकाया ब्याज का भुगतान
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण	791.68	2.14	0.16	0.00	793.66	1.98	0.00
आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	23,586.96	4,168.45	0.03	0.00	27,755.38	4,168.42	0.00
सरकारी सेवकों के लिए ऋण	(-)30.16	40.55	46.22	0.00	(-)35.83	(-)5.67	0.00
जोड़	**24,348.48**	**4,211.14**	**46.41**	**0.00**	**28,513.21**	**4,164.73**	**0.00**

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण - क्रमशः

खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी @*

ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2023 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
1	2	3	4	5	6
				(₹ करोड़ में)	
(i) सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण :-					
जल पूर्ति एवं सफाई -					
आदित्यपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.60	3.77	**4.37**	2007-08	6.43
आदित्यपुर नगर परिषद्	0.04	0.08	**0.12**	2007-08	0.00
बासुकीनाथ अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.21	2.55	**2.76**	2007-08	2.89
बोकारो नगरपालिका	0.63	5.94	**6.57**	2007-08	6.65
बुंडू अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.32	3.05	**3.37**	2007-08	3.77
चाईबासा नगरपालिका	0.36	3.15	**3.51**	2007-08	5.09
चक्रधरपुर नगरपालिका	0.31	4.24	**4.55**	2007-08	5.09
छाताटांड अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.04	0.07	**0.11**	2007-08	1.93
चाकुलिया अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.23	2.70	**2.93**	2007-08	3.45
चास नगरपालिका	1.43	3.64	**5.07**	2007-08	12.85
चतरा नगरपालिका	1.41	2.55	**3.96**	2007-08	13.57
छतरपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.24	2.41	**2.65**	2007-08	3.53
चिरकुंडा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.77	2.48	**3.25**	2007-08	7.77
डाल्टेनगंज नगरपालिका	1.62	6.41	**8.03**	2007-08	15.06

@ इस खण्ड में वैसे ऋणी स्वत्व का ब्योरा शामिल नहीं है, जिनका मूलधन एवं ब्याज की अदायगियाँ देय नहीं है।

* मूलधन और ब्याज (ऋणीवार) के बकाये सरकार की संपुष्टि प्रतीक्षित है (अगस्त 2023)।

विवरण संख्या 7–सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण – क्रमशः

खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी

ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2023 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
1	2	3	4	5	6
				(₹ करोड़ में)	
देवघर नगरपालिका	1.09	6.08	**7.17**	2007-08	8.73
धनबाद नगरपालिका	1.92	8.66	**10.58**	2007-08	9.37
दुमका नगरपालिका	1.18	7.12	**8.30**	2007-08	9.85
फुसरो अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.74	3.33	**4.07**	2007-08	7.13
गढ़वा नगरपालिका	0.47	4.55	**5.02**	2007-08	4.73
गिरिडीह नगरपालिका	1.65	6.89	**8.54**	2007-08	6.41
गोड्डा नगरपालिका	0.38	4.41	**4.79**	2007-08	4.65
गोड्डा नगर पंचायत	0.04	0.08	**0.12**	2007-08	0.00
गुमला नगरपालिका	0.43	6.33	**6.76**	2007-08	5.05
गुमला नगर पंचायत	0.16	0.32	**0.48**	2007-08	0.00
हजारीबाग नगरपालिका	0.73	8.29	**9.02**	2007-08	7.81
हुसैनाबाद अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.39	4.14	**4.53**	2007-08	4.73
हुसैनाबाद नगरपालिका	0.00	0.04	**0.04**	2007-08	0.00
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.60	7.43	**8.03**	2007-08	5.45
जामताड़ा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.38	2.98	**3.36**	2007-08	4.25

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण - क्रमशः

खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी

ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2023 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
1	2	3	4	5	6
				(₹ करोड़ में)	
जसीडीह अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.43	2.95	**3.38**	2007-08	4.65
झरिया अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.38	4.36	**4.74**	2007-08	4.65
झुमरीतिलैया नगरपालिका	0.88	5.27	**6.15**	2007-08	4.19
जुगसलाई नगरपालिका	3.26	7.01	**10.27**	2007-08	4.49
कतरास अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.87	4.78	**5.65**	2007-08	4.57
खरसावाँ अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.21	3.94	**4.15**	2007-08	3.29
खूँटी अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.52	4.10	**4.62**	2007-08	5.29
कोडरमा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.58	4.01	**4.59**	2007-08	5.85
लातेहार अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.59	3.77	**4.36**	2007-08	6.02
लोहरदगा नगरपालिका	0.64	5.24	**5.88**	2007-08	6.42
मधुपुर नगरपालिका	0.34	4.07	**4.41**	2007-08	4.01
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.93	5.53	**6.46**	2007-08	8.65
मेदनीनगर नगरपालिका	0.49	3.76	**4.25**	2007-08	5.13
मिहिजाम अधिसूचित क्षेत्र समिति	1.27	5.21	**6.48**	2007-08	6.54
पाकुड़ नगरपालिका	0.46	4.16	**4.62**	2007-08	5.21

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण - क्रमशः

खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी

ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2023 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
1	2	3	4	5	6
				(₹ करोड़ में)	
पाकुड़ नगर पंचायत	0.04	0.08	**0.12**	2007-08	0.00
आर.आर.डी.ए., राँची	0.08	4.28	**4.36**	2007-08	2.25
राजमहल अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.31	3.51	**3.82**	2007-08	3.77
रांची नगर निगम	4.25	18.71	**22.96**	2007-08	28.41
साहेबगंज नगरपालिका	0.32	5.43	**5.75**	2007-08	3.85
सरायकेला नगरपालिका	0.24	3.78	**4.02**	2007-08	3.83
सरायकेला नगर पंचायत	2.36	0.08	**2.44**	2007-08	0.00
सिमडेगा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.30	3.34	**3.64**	2007-08	3.69
सिंदरी अंचल नगरपालिका	0.23	3.95	**4.18**	2007-08	3.47
जोड़- जल पूर्ति एवं सफाई	**38.35**	**225.01**	**263.36**		**294.47**
आवास					
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड	7.90	22.89	**30.79**	2015-16	73.87
जोड़ - आवास	**7.90**	**22.89**	**30.79**		**73.87**

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण - क्रमशः

खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी

(₹ करोड़ में)

ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2023 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
1	2	3	4	5	6
शहरी विकास					
आदित्यपुर नगर निगम	0.01	0.04	**0.05**	2021-22	0.14
आदित्यपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.55	2.18	**2.73**	2007-08	11.91
बासुकीनाथ नगर पंचायत	0.00	0.10	**0.10**	2007-08	0.27
बासुकीनाथ अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.37	1.26	**1.63**	2007-08	8.55
बिश्रामपुर नगर परिषद्	0.00	0.00	**0.00**	2022-23	0.03
बुंडू अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.27	0.19	**0.46**	2007-08	6.78
चाईबासा नगरपालिका	0.38	1.37	**1.75**	2007-08	9.03
चक्रधरपुर नगरपालिका	0.45	1.39	**1.84**	2007-08	8.46
चाकुलिया अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.22	0.82	**1.04**	2007-08	5.53
चास नगर निगम	0.25	0.90	**1.15**	2007-08	6.27
चतरा नगर परिषद्	0.18	1.49	**1.67**	2007-08	5.03
छत्तरपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.04	0.19	**0.23**	2007-08	3.75
चिरकुंडा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.03	0.77	**0.80**	2007-08	1.75
चिरकुंडा नगर परिषद्	0.00	0.00	**0.00**	2022-23	0.03
डाल्टेनगंज नगरपालिका	1.62	1.12	**2.74**	2007-08	40.50
देवघर नगर निगम	0.81	4.08	**4.89**	2007-08	24.10
धनबाद नगर निगम	3.11	12.38	**15.49**	2007-08	77.61
दुमका नगर परिषद्	0.47	1.43	**1.90**	2007-08	9.82

विवरण संख्या 7–सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण – क्रमशः

खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी

ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2023 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
1	2	3	4	5	6
				(₹ करोड़ में)	
गढ़वा नगरपालिका	0.86	0.79	**1.65**	2007-08	2.98
गिरिडीह नगर निगम	0.22	3.39	**3.61**	2007-08	15.54
गरिडीह नगर परिषद्	0.00	0.00	**0.00**	2007-08	0.00
गोड्डा नगरपालिका	0.10	0.76	**0.86**	2007-08	2.72
गोड्डा नगर पंचायत	0.01	0.02	**0.03**	2007-08	0.00
गुमला नगरपालिका	0.12	1.04	**1.16**	2007-08	5.14
हजारीबाग नगर निगम	0.89	4.59	**5.48**	2007-08	21.08
हुसैनाबाद नगर पंचायत	0.01	0.14	**0.15**	2007-08	0.42
हुसैनाबाद अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.07	0.63	**0.70**	2007-08	1.79
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.58	1.24	**1.82**	2007-08	13.28
जामताड़ा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.06	0.27	**0.33**	2007-08	1.59
जसीडीह अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.03	0.14	**0.17**	2007-08	0.75
झरिया अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.21	0.68	**0.89**	2007-08	5.25
झुमरीतिलैया नगरपालिका	0.24	1.29	**1.53**	2007-08	5.64
जुगसलाई नगरपालिका	0.33	1.49	**1.82**	2007-08	8.00
कपाली नगर परिषद्	0.00	0.00	**0.00**	2022-23	0.03
कतरास अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.03	0.16	**0.19**	2007-08	0.82
खरसावाँ अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.07	0.35	**0.42**	2007-08	1.75

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण - क्रमशः

खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी

(₹ करोड़ में)

ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2023 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
1	2	3	4	5	6
खूंटी अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.06	0.47	**0.53**	2007-08	1.75
कोडरमा नगर पंचायत	0.06	0.64	**0.70**	2007-08	2.40
लातेहार अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.07	1.03	**1.10**	2007-08	1.99
लोहरदगा नगरपालिका	0.45	1.65	**2.10**	2007-08	8.07
मधुपुर नगरपालिका	0.43	2.61	**3.04**	2007-08	6.95
मझिऔंअ नगर पंचायत	0.00	0.00	**0.00**	2022-23	0.03
मानगो नगर निगम	0.00	0.01	**0.01**	2021-22	0.14
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.23	1.22	**1.45**	2007-08	2.58
मेदनीनगर नगर निगम	0.28	1.41	**1.69**	2007-08	8.77
मेदनीनगर नगर परिषद्	0.04	0.10	**0.14**	2007-08	0.00
मिहिजाम नगर परिषद	0.00	0.00	**0.00**	2007-08	1.12
मिहिजाम अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.07	0.29	**0.36**	2007-08	2.15
पाकुड़ नगरपालिका	0.23	1.43	**1.66**	2007-08	4.79
फुसरो नगर परिषद्	0.14	0.09	**0.23**	2007-08	2.85
फुसरो अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.04	0.19	**0.23**	2007-08	1.27
आर.आर.डी.ए., राँची	0.01	0.25	**0.26**	2007-08	4.11
राजमहल नगर पंचायत	0.02	0.10	**0.12**	2007-08	1.01
राजमहल अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.05	0.22	**0.27**	2007-08	1.12
रामगढ़ नगर परिषद्	0.00	0.14	**0.14**	2007-08	1.74

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण - क्रमशः

खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी

ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2023 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
1	2	3	4	5	6
				(₹ करोड़ में)	
राँची नगर निगम	2.80	15.90	**18.70**	2007-08	56.44
साहेबगंज नगरपालिका	0.35	2.13	**2.48**	2007-08	5.11
सरायकेला नगरपालिका	0.09	0.66	**0.75**	2007-08	0.54
सरायकेला नगर पंचायत	0.00	0.02	**0.02**	2007-08	0.03
श्रीवंशीधरनगर नगर पंचायत	0.00	0.00	**0.00**	2022-23	0.03
सिमडेगा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.12	0.69	**0.81**	2007-08	3.77
सिमडेगा नगर परिषद्	0.00	0.00	**0.00**	2022-23	0.03
सिंदरी अंचल नगरपालिका	0.05	0.97	**1.02**	2007-08	0.68
जोड़- शहरी विकास	**18.18**	**78.91**	**97.09**		**425.81**##
प्राकृतिक आपदाओं के लिए ऋण	0.00	0.00	**0.00**		(-)0.49
जोड़- प्राकृतिक आपदाओं के लिए ऋण	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**(-)0.49**
फसल कृषि कर्म	0.00	0.00	**0.00**		(-)0.03
जोड़- फसल कृषि कर्म	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**(-)0.03**
सहकारिता					
निबंधक, सहकारी समिति	9.15	8.14	**17.29**	2007-08	63.59
जोड़- सहकारिता	**9.15**	**8.14**	**17.29**		**63.59**

पूर्णांकन के कारण वास्तविक आँकड़े से (-) ₹ 0.16 करोड़ का अंतर है।

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण - क्रमशः

खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी

ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2023 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
1	2	3	4	5	6
				(₹ करोड़ में)	
(ii) आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण :-					
ग्रामीण विकास					
बोकारो जिला परिषद	0.89	2.16	**3.05**	2013-14	4.53
चतरा जिला परिषद	0.18	1.37	**1.55**	2013-14	0.53
देवघर जिला परिषद	0.22	1.64	**1.86**	2013-14	1.19
धनबाद जिला परिषद	0.71	1.92	**2.63**	2013-14	4.90
दुमका जिला परिषद	0.74	1.67	**2.41**	2013-14	4.28
गढ़वा जिला परिषद	0.26	0.86	**1.12**	2013-14	1.24
गिरिडीह जिला परिषद	0.73	1.61	**2.34**	2013-14	2.45
गोड्डा जिला परिषद	0.10	1.17	**1.27**	2013-14	0.58
गुमला जिला परिषद	0.13	0.88	**1.01**	2013-14	0.67
चाईबासा जिला परिषद	0.42	1.51	**1.93**	2013-14	5.70
हजारीबाग जिला परिषद	0.36	1.13	**1.49**	2013-14	1.20
जमशेदपुर जिला परिषद	0.40	1.65	**2.05**	2013-14	1.11
जामताड़ा जिला परिषद	0.06	0.12	**0.18**	2013-14	0.56
कोडरमा जिला परिषद	0.02	1.39	**1.41**	2013-14	0.10

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण - क्रमशः

खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी

ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2023 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				(₹ करोड़ में)	
लातेहार जिला परिषद	0.37	0.99	**1.36**	2013-14	1.35
लोहरदगा जिला परिषद	0.25	0.79	**1.04**	2013-14	0.52
पाकुड़ जिला परिषद	0.18	0.22	**0.40**	2013-14	1.26
पलामू जिला परिषद	0.62	1.78	**2.40**	2013-14	2.34
राँची जिला परिषद	0.72	1.57	**2.29**	2013-14	2.49
साहेबगंज जिला परिषद	0.22	1.54	**1.76**	2013-14	0.73
जोड़- ग्रामीण विकास	**7.58**	**25.97**	**33.55**		**37.73**
खनिज एवं उद्योग					
झारखण्ड राज्य					
बिहार स्पंज लौह लिमिटेड	5.42	5.17	**10.59**	2012-13	27.59
जोड़ - खनिज एवं उद्योग	**5.42**	**5.17**	**10.59**		**27.59**

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण - क्रमांत

खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी

ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2023 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
1	2	3	4	5	6
				(₹ करोड़ में)	
ऊर्जा					
झारखण्ड राज्य विद्युत् बोर्ड	311.17	523.53	**834.70**	2012-13	7,222.18
झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	256.34	248.44	**504.78**	2017-18	14,892.08
झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	1,164.38	538.56	**1,702.94**	2017-18	5,323.49
झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड	6.00	1.84	**7.84**	2016-17	0.00
तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड	55.69	72.40	**128.09**	2012-13	60.80
पतरातु थर्मल पावर	15.56	60.50	**76.06**	2012-13	20.00
जोड़- ऊर्जा	**1,809.14**	**1,445.27**	**3,254.41**		**27,518.55**
ग्राम तथा लघु उद्योग औद्योगिक ऋण					
	0.00	0.00	0.00	**2022-23**	107.95
जोड़ - औद्योगिक ऋण	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**107.95**
(iii) सरकारी कर्मचारियों को ऋण					
राज्य सरकार के कर्मचारी [5]	0.00	0.00	0.00		(-)35.83
जोड़ - सरकारी कर्मचारियों को ऋण	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**(-)35.83**
कुल जोड़	**1,895.72**	**1,811.36**	**3,707.08**		**28,513.21**

[5] उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के लिए संयुक्त बिहार राज्य के शेष का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। अत: ऋणात्मक आंकड़े वहां शामिल हुए हैं जहां शेषों को स्थानांतरित नहीं किया गया है, परंतु वसूलियां प्राप्त हुई हैं (अगस्त 2023)।

8. सरकार के निवेशों का विवरण

वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के लिए विभिन्न संस्थाओं का हिस्सा पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सार

	2021-22			2022-23		
संस्थाओं का नाम	संस्थाओं की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेशित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश एवं ब्याज की राशि	संस्थाओं की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेशित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश एवं ब्याज की राशि
1	2	3	4	5	6	7
					(₹ करोड़ में)	
1. सांविधिक निगमें	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
2. ग्रामीण बैंक [1]	1	45.73	0.00	1	46.41	0.00
3. सरकारी कम्पनियाँ [1,2]	22	2,014.40	0.00	22	2,196.36	0.00
4. अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियाँ एवं साझेदारियाँ	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
5. सहकारी संस्थाएँ एवं स्थानीय निकायें [1,3]	22	190.09	0.00	22	240.59	0.00
जोड़	**45**	**2,250.22**	**0.00**	**45**	**2,483.36**	**0.00**

[1] संस्थावार तथा मुख्य शीर्षवार निवेश की विस्तृत विवरण हेतु कृपया विवरण संख्या 19 देखें।

[2] व्यय शीर्ष (राजस्व लेखे) में ₹58.35 करोड़ शामिल है।

[3] व्यय शीर्ष (राजस्व लेखे) में ₹61.17 करोड़ शामिल है।

9. सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण

(i) सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों द्वारा वर्ष के दौरान लिए गए ऋणों आदि की वापसी के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा दी गई गारंटियां तथा 31 मार्च 2023 को विभिन्न खण्डों में बकाया गारंटीड के योग को नीचे दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

खण्ड (गारंटियों की सं॰ कोष्ठक में)	अधिकतम गारंटीड राशि	वर्ष 2022-23 के आरंभ में बकाया	वर्ष 2022-23 के दौरान वृद्धि	वर्ष 2022-23 के दौरान विलोपित (याचित से भिन्न)	वर्ष 2022-23 के दौरान याचित		वर्ष 2022-23 के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस		अन्य वस्तुपरक विवरण
					भुगतान किया गया	भुगतान नहीं किया गया		प्राप्त किये जाने योग्य	प्राप्त किया गया	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आर्थिक क्षेत्र (उर्जा)	**2,535.38**	**2,535.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,535.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (विघटित 2013-14)	157.15	157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	**157.15**	0.00	0.00	0.00
2. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**450.00**	0.00	0.00	0.00
3. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	1,103.35	1,103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	**1,103.35**	0.00	0.00	0.00
4. झारखण्ड नवीकरणीय उर्जा विकास एजेंसी	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	**32.55**	0.00	0.00	0.00
5. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	266.13	266.13	0.00	0.00	0.00	0.00	**266.13**	0.00	0.00	0.00
6. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	160.61	160.61	0.00	0.00	0.00	0.00	**160.61**	0.00	0.00	0.00
7. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	365.59	365.59	0.00	0.00	0.00	0.00	**365.59**	0.00	0.00	0.00
आर्थिक क्षेत्र (खाद्य)	**1,687.00**	**1,687.00**	**776.00**	0.00	0.00	0.00	**2,463.00**	0.00	0.00	0.00
8. झारखण्ड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (जे.एस.एफ.सी.एस.सी.)	1,687.00	1,687.00	776.00	0.00	0.00	0.00	**2,463.00**	0.00	0.00	0.00
कुल योग	**4,222.38**	**4,222.38**	**776.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,998.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

टिप्पणी: वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र सं. अर्थोपाय (30)-17/2022/310/बजट दिनांक 03.05.2023 के द्वारा क्रम सं. 3 से 8 तक में इकाईयों को शामिल किया गया है।

9. सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण - क्रमांत

(ii) सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों द्वारा वर्ष के दौरान लिए गए ऋणों आदि की वापसी के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा दी गई गारंटियां तथा 31 मार्च 2023 को विभिन्न खण्डों में बकाया गारंटीड के योग को नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ग एवं खंड	राज्य गारंटी का साख पत्र की संख्या	सुविधाजन्य पत्रों द्वारा जारी कुल राशि	याचनाओं का विवरण, यदि कोई हो	अन्य वस्तुपूरक विवरण
1	2	3	4	5
		(₹ करोड़ में)		
1. झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (विघटित 2013-14)	डब्ल्यू. एण्ड एम. (13) 18/2012-64/ बजट दिनांक 07.02.2013	157.15	झारखण्ड सरकार द्वारा डी.भी.सी. से क्रय की जा रही विद्युत के विरुद्ध मासिक विपत्र के भुगतान हेतु, अतिरिक्त लेटर ऑफ क्रेडिट खोले जाने के लिए झारखण्ड विद्युत बोर्ड को गारंटी प्रदान की गई।	इसके अतिरिक्त लेटर ऑफ क्रेडिट खोले जाने हेतु प्रपत्र पर ऊर्जा विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा राज्य गारंटर के रूप में हस्ताक्षर की जाएगी।
2. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	उर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार अधिसूचना सं. ई-8/ऊ.वि. बोर्ड- 02/17-3072 दिनांक 20.12.2018	450.00	रियायती दर पर उधार लिए गए अल्पावधि ऋण के विरुद्ध झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को वर्तमान देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए राज्य गारंटी दी गई है।	राज्य गारंटी उस शर्त के साथ दिया गया है कि कर्ज का पुनर्भुगतान पूरी तरह से झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में निहित होगा।
3. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	अनुपलब्ध	1,103.35	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
4. झारखण्ड नवीकरणीय उर्जा विकास एजेंसी (जे.आर.डी.ए.)	अनुपलब्ध	32.55	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
5. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	अनुपलब्ध	266.13	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
6. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	अनुपलब्ध	160.61	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
7. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	अनुपलब्ध	365.59	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
8. झारखण्ड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (जे.एस.एफ.सी.एस.सी.)	अनुपलब्ध	2,463.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

टिप्पणी: वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र सं. अर्थोपाय (30)-17/2022/310/बजट दिनांक 03.05.2023 के द्वारा क्रम सं. 3 से 8 तक में इकाईयों को शामिल किया गया है।

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान का विवरण

		(i) रोकड़ में भुगतान किए गए सहायक अनुदान				पूंजी परिसम्पतियों के निर्माण के लिए कुल विमुक्त निधि में से आवंटित राशि	
अनुदानित संस्थाएँ		सहायता अनुदान के रूप में निर्गत कुल निधि					
		2022-23			2021-22	2022-23	2021-22
		स्थापना	राज्य योजना सी.ए.एस. एवं सी.एस.एस. सहित	कुल			
						(₹ करोड़ में)	
1	**पंचायती राज संस्थाएँ**						
(i)	जिला परिषद्	1.03	1,461.54	**1,462.57**	**772.76**	**95.00**	**125.68**
(ii)	पंचायत समितियां	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
(iii)	ग्राम पंचायत	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2	**शहरी स्थानीय निकाय**						
(i)	नगर निगम	10.63	389.15	**399.78**	**547.79**	**0.00**	**0.00**
(ii)	नगर पालिका / नगर परिषद्	192.24	674.39	**866.63**	**494.54**	**0.00**	**0.00**
(iii)	अन्य	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**						
(i)	सरकारी कम्पनियाँ	0.00	935.45	**935.45**	**1,914.32**	**572.66**	**79.54**
(ii)	सांविधिक निगम	0.00	65.25	**65.25**	**555.34**	**11.97**	**385.16**

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान का विवरण – क्रमशः

		(i) रोकड़ में भुगतान किए गए सहायक अनुदान – क्रमांत				पूंजी परिसम्पतियों के निर्माण के लिए कुल विमुक्त निधि में से आवंटित राशि	
	अनुदानित संस्थाएँ	सहायता अनुदान के रूप में निर्गत कुल निधि					
		2022-23			2021-22	2022-23	2021-22
		स्थापना	राज्य योजना सी.ए.एस. एवं सी.एस.एस. सहित	कुल			
						(₹ करोड़ में)	
4	**स्वायत्तशासी निकाय**						
(i)	विश्वविद्यालय	1,852.07	541.60	**2,393.67**	**1,807.60**	**19.82**	**10.00**
(ii)	विकास प्राधिकार	99.89	7,933.63	**8,033.52**	**8,751.59**	**3,157.22**	**4,146.99**
(iii)	सहकारी संस्थाएँ	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
(iv)	अन्य	94.73	652.33	**747.06**	**163.20**	**160.00**	**0.00**
5	**गैर-सरकारी संगठन**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6	**अन्य**	**543.21**	**6,746.91**	**7,290.12**	**4,622.81**	**2,035.21**	**611.25**
	जोड़	**2,793.80**	**19,400.25**	**22,194.05***	**19,629.95**	**6,051.88**	**5,358.62**

*पूर्णांकन के कारण वास्तविक आँकड़े से (+) ₹ 0.01 करोड़ का अंतर है।

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान का विवरण - क्रमांत

(ii) सामग्रियों में भुगतान किए गए सहायक अनुदान							पूंजी परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए कुल विमुक्त निधि में से आवंटित राशि	
अनुदानित संस्थाएँ			सहायता अनुदान के रूप में निर्गत कुल निधि					
			2022-23			2021-22	2022-23	2021-22
			स्थापना	राज्य योजना सी.ए.एस. एवं सी.एस.एस. सहित	कुल			
							(₹ करोड़ में)	
1		**पंचायती राज संस्थाएँ**						
	(i)	जिला परिषद्						
	(ii)	पंचायत समितियां						
	(iii)	ग्राम पंचायत						
2		**शहरी स्थानीय निकाय**						
	(i)	नगर निगम						
	(ii)	नगर पालिका / नगर परिषद्						
	(iii)	अन्य						
3		**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**						
	(i)	सरकारी कम्पनियाँ		राज्य सरकार से सूचना प्रतीक्षित है (अगस्त 2023)।				
	(ii)	सांविधिक निगम						
4		**स्वायत्तशासी निकाय**						
	(i)	विश्वविद्यालय						
	(ii)	विकास प्राधिकार						
	(iii)	सहकारी संस्थाएँ						
	(iv)	अन्य						
5		**गैर-सरकारी संगठन**						
6		**अन्य**						
		जोड़						

11. दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण

	2022-23			2021-22		
ब्यौरे	*प्रभारित*	दत्तमत	कुल जोड़	*प्रभारित*	दत्तमत	कुल जोड़
			(₹ करोड़ में)			
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	*6,908.46*	59,773.18	**66,681.64**	*6,627.09*	56,150.82	**62,777.91**
व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	*0.00*	14,015.59	**14,015.59**	*0.00*	9,376.91	**9,376.91**
लोक ऋण, कर्ज तथा उधार, अन्तर्राज्यीय परिशोधन और आकस्मिकता निधि को स्थान्तरण [1]	*6,729.46*	4,211.14	**10,940.60**	*4,247.08*	1,462.98	**5,710.06**
जोड़	***13,637.92***	**77,999.91**	**91,637.83** *	***10,874.17***	**66,990.71**	**77,864.88**
आँकड़ें निम्न प्रकार से संयोजित किए गए हैं :-						
ङ लोक ऋण						
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	*6,473.08*	0.00	**6,473.08**	*4,012.80*	**0.00**	**4,012.80**
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	*256.38*	0.00	**256.38**	*234.28*	**0.00**	**234.28**
च कर्ज एवं पेशगियाँ [2]						
सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज	*0.00*	0.00	**0.00**	*0.00*	**0.00**	**0.00**
सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज	*0.00*	2.14	**2.14**	*0.00*	**16.27**	**16.27**
आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज	*0.00*	4,168.45	**4,168.45**	*0.00*	**1,415.03**	**1,415.03**
सरकारी सेवकों आदि को कर्ज	*0.00*	40.55	**40.55**	*0.00*	**31.68**	**31.68**
विविध उद्देश्यों के लिए कर्ज	*0.00*	0.00	**0.00**	*0.00*	**0.00**	**0.00**

* पूर्णांकन के कारण वास्तविक आँकड़े से (+) ₹ 0.01 करोड़ का अंतर है।

[1] विस्तृत लेखे खण्ड II के विवरण संख्या 18 एवं 21 में दिए गए हैं ।

[2] विस्तृत लेखे खण्ड II के विवरण संख्या 18 में दिए गए हैं ।

11. दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण - क्रमांत

		2022-23			2021-22	
ब्यौरा	*प्रभारित*	दत्तमत	कुल जोड़	*प्रभारित*	दत्तमत	कुल जोड़
			(₹ करोड़ में)			
छ अन्तर्राज्यीय परिशोधन						
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	*0.00*	0.00	**0.00**	*0.00*	**0.00**	**0.00**
ज आकस्मिकता निधि को स्थानान्तरण						
आकस्मिकता निधि को स्थानान्तरण	*0.00*	0.00	**0.00**	*0.00*	**0.00**	**0.00**

(i) वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान कुल व्यय के सापेक्ष प्रभारित व्यय और दत्तमत व्यय की प्रतिशतता निम्नवत् थी।

वर्ष	कुल व्यय की प्रतिशतता	
	प्रभारित	दत्तमत
2021-22	*13.97*	86.03
2022-23	*14.88*	85.12

12. राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण

	शीर्ष	1 अप्रैल 2022 को	वर्ष 2022-23 के दौरान	31 मार्च 2023 को
	पूंजी तथा अन्य व्यय			*(₹ करोड़ में)*
	पूंजीगत व्यय (उप-खण्ड-वार)			
(i)	**सामान्य सेवाएं -**			
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	274.24	6.22	280.46
	पुलिस	3,891.84	372.95	4,264.79
	लोक निर्माण कार्य	2,823.27	483.39	3,306.66
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	99.87	10.42	110.29
(ii)	**सामाजिक सेवाएं-**			
	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	3,069.08	1,011.79	4,080.87
	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	4,362.16	624.50	4,986.66
	जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	7,731.30	2,668.59	10,399.89
	सूचना तथा प्रचार	42.39	0.05	42.44
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	3,262.33	848.34	4,110.67
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	613.39	42.60	655.99
	अन्य सामाजिक सेवाएं	239.15	25.13	264.28

12. राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण - क्रमशः

शीर्ष	1 अप्रैल 2022 को	वर्ष 2022-23 के दौरान	31 मार्च 2023 को
			(₹ करोड़ में)
(iii) आर्थिक सेवाएं			
कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	2,518.28	654.48	3,172.76
ग्राम विकास	22,040.02	2,219.58	24,259.60
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	14,246.55	1,373.71	15,620.26
ऊर्जा	916.75	153.96	1,070.71
उद्योग तथा खनिज	1,057.14	3.00	1,060.14
परिवहन	37,515.95	3,437.51	40,953.46
सामान्य आर्थिक सेवाएं	715.93	79.38	795.31
पूर्णांकन के कारण	0.01	(-)0.01[1]	0.00
जोड़ - पूंजीगत व्यय	**1,05,419.65**	**14,015.59**	**1,19,435.24**
पूंजीगत प्राप्ति	**25.09**	**0.00**	**25.09**
निवल पूंजीगत व्यय	**1,05,394.56**	**14,015.59**	**1,19,410.15**

[1] पूर्णांकन के कारण (-) ₹ 0.01 करोड़ के अंतर को समायोजित किया गया है।

12. राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण - क्रमशः

शीर्ष	1 अप्रैल 2022 को	वर्ष 2022-23 के दौरान	31 मार्च 2023 को
			(₹ करोड़ में)
कर्ज तथा उधार -			
विभिन्न सेवाओं के लिये कर्ज तथा उधार : -			
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	792.16	2.14	794.30
सामाजिक कल्याण तथा पोषण	(-)0.49	(-)0.15	(-)0.64[2]
कृषि तथा संबद्ध कार्यकालाप	63.56	(-)0.04	63.52
ग्राम विकास	34.97	2.75	37.72
ऊर्जा	23,460.84	4,057.71	27,518.55
उद्योग तथा खनिज	27.60	107.99	135.59
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.00	0.00	0.00
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज	(-)30.15	(-)5.67	(-)35.82[2]
जोड़- कर्ज तथा उधार	**24,348.49**	**4,164.73**	**28,513.22**
जोड़- पूंजी तथा अन्य व्यय	**1,29,743.05**	**18,180.32**	**1,47,923.37**
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	0.00
निवल-पूंजी तथा अन्य व्यय	**1,29,743.05**	**18,180.32**	**1,47,923.37**

[2] उत्तरवर्ती राज्यों, बिहार एवं झारखण्ड के बीच संयुक्त बिहार के शेषों का बँटवारा नहीं होने के कारण ऋणात्मक शेष है (अगस्त 2023)।

12. राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण - क्रमशः

शीर्ष	1 अप्रैल 2022 को	वर्ष 2022-23 के दौरान	31 मार्च 2023 को
			(₹ करोड़ में)
निधियों के प्रमुख स्रोत			
ऋण			
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	74,538.31	(-)957.88	73,580.43
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	7,993.22	3,370.73	11,363.95
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,001.19	15.79	1,016.98
जोड़-ऋण	**83,532.72**	**2,428.64**	**85,961.36**
अन्य प्राप्तियाँ			
आकस्मिकता निधि	500.00	0.00	500.00
आरक्षित निधि	6,844.34	(-)308.69	6,535.65
जमा के अंतर्गत निवल शेष	23,609.29	3,345.79	26,955.08
सिविल अग्रिम	(-)19.67	2.01	(-) 17.66
उचंत रोकड़ शेष निवेश लेखे को छोड़कर	78.82	295.55	374.37
प्रेषण	112.64	(-)36.09	76.55
जोड़- अन्य प्राप्तियाँ	**31,125.42**	**3,298.57**	**34,423.99**
जोड़-ऋण एवं अन्य प्राप्तियाँ	**1,14,658.14**	**5,727.21**	**1,20,385.35**
घटाएं-			
(i) रोकड़ शेष	149.37	(-)58.30	91.07
(ii) निवेश			
(क) निवेश (रोकड़ शेष निवेश लेखा)	4,480.63	668.78	5,149.41[3]
(ख) एस.डी.आर.एफ. से निवेश	400.00	0.00	400.00
(ग) निक्षेप निधि से निवेश	503.87	500.00	1,003.87
जोड़	**1,09,124.27**	**4,616.73**	**1,13,741.00**

[3] कृपया पृष्ठ संख्या 447 पर विवरण संख्या 21 का पाद टिप्पणी देखें।

12. राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण - क्रमांत

शीर्ष	1 अप्रैल 2022 को	वर्ष 2022-23 के दौरान	31 मार्च 2023 को
			(₹ करोड़ में)
घटाएं: राजस्व घाटा/ **जोड़ें:** राजस्व अधिशेष		13,563.59	
जोड़ें: सरकारी लेखे को बंद राशि		0.00	
घटाएं: अंतर्राज्यीय परिशोधन		0.00	
निधियों का निवल प्रावधान		**18,180.32**	
प्रगामी निवल पूंजी एवं अन्य व्यय		**1,47,923.37**	
प्रगामी निधियों का प्रमुख स्रोत		**1,13,741.00**	
अंतर		**34,182.37**	

₹34,182.37 करोड़ के अंतर का व्याख्या नीचे की गयी है।

	(₹ करोड़ में)
1. 31.03.2022 को संचित राजस्व अधिशेष (+) / घाटा (-)	27,538.11
2. राजस्व अधिशेष (2022-23)	13,563.59
3. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	(-)500.00
4. संयुक्त बिहार से पृथक हुए लोक ऋण	(-)5,961.94
5. संयुक्त बिहार से पृथक हुए लोक ऋण	(-)28.72
6. संयुक्त बिहार से पृथक हुए अन्तर्राज्यीय परिशोधन शेष 2008-09	(-)145.87
7. संयुक्त बिहार से पृथक हुए अन्तर्राज्यीय परिशोधन शेष 2010-11	1.40
8. संयुक्त बिहार से पृथक हुए अन्तर्राज्यीय परिशोधन शेष 2011-12	(-)75.41
9. 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में के.प्रा.यो. तथा के.यो.यो. के कर्ज को अपलेखित किया गया	20.61
10. 2012-13 के दौरान बिहार की पेंशन देयता के भुगतान से संबंधित अन्तर्राज्यीय परिशोधन	(-)100.00
11. 2013-14 के दौरान बिहार की पेंशन देयता के भुगतान से संबंधित अन्तर्राज्यीय परिशोधन	(-)50.00
12. बकाया कोषागार उचंत के शेषों को समाप्त कर दिया गया	(-)9.49
13. स्वर्णरेखा परियोजना पर उड़ीसा शेयर का समायोजन तथा लोक निर्माण कार्य एवं वन प्रेषण के बीच गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप शीर्ष 8782-102 लोक निर्माण कार्य प्रेषण के अंतर्गत बकाया शेषों को ड्राप किया गया ।	(-)469.91
14. राज्य आपदा मोचन निधि से निवेश	400.00
जोड़	**34,182.37**

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश

अ. 31 मार्च 2023 को शेष की स्थिति का सारांश निम्नानुसार है :-

नामे शेष	सामान्य लेखे का खण्ड	लेखे का नाम	जमा शेष
1	2	3	4
(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*
		समेकित निधि	
85,227.81	क से घ, छ, ज, और ठ का भाग	सरकारी लेखा [1]	
	ङ	लोक- ऋण	84,944.39
28,513.21	च	कर्ज तथा उधार	
		आकस्मिकता निधि	500.00
		लोक - लेखा	
	झ	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	
		(ख) राज्य भविष्य निधियां	2,594.57
		(ग) अन्य लेखे	(-)1,577.59
	ञ	आरक्षित निधि	
		(क) आरक्षित निधि, ब्याज वाली जमा	5,531.79
		(ख) आरक्षित निधि, बिना ब्याज वाली जमा	1,003.87
		सकल शेष	
		निवेश	
400.00		(क) राज्य आपदा मोचन निधि	
1,003.87		(ख) समेकित निक्षेप निधि	

[1] ''सरकारी लेखा'' के अन्तर्गत यह आंकड़ा कैसे निकाला गया, इसे समझने के लिए पृष्ठ संख्या 61 पर कृपया ''ब'' देखें।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश - क्रमशः

नामे शेष	सामान्य लेखे का खण्ड	लेखे का नाम	जमा शेष
1	2	3	4
(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*
	ट	जमा तथा अग्रिम	
		(क) ब्याज वाली जमा	78.94
		(ख) बिना ब्याज वाली जमा	26,876.14
17.66		(ग) अग्रिम	
	ठ	उचंत तथा विविध-	
5,149.41		निवेश	
		अन्य मदें (निवल)	374.37
	ड	प्रेषण	76.55
91.07	ढ	रोकड़ शेष (अन्त) [2]	
1,20,403.03		**जोड़**	**1,20,403.03**

[2] रोकड़ शेष में सम्मिलित ''रिजर्व बैंक के पास जमा'' के संबंध में खाते में दिखाए गए आंकड़े और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त आंकड़े में अंतर है। विस्तृत विवरण के लिए खण्ड- II के विवरण संख्या 21 का ढ - रोकड़ शेष के अन्तर्गत पाद टिप्पणी 5 का अवलोकन करें।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश - क्रमशः

ब. सरकारी लेखा - सरकारी लेखाओं में अनुसरित बही-खाता रखने की प्रणाली के अनुसार राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के अन्तर्गत पुस्तांकित राशियाँ तथा अन्य लेन-देन, जिनके शेष लेखे में वर्षानुवर्ष आगे नहीं लाये जाते, एक ही शीर्ष में संवरित किए जाते हैं, जिसे सरकारी लेखा कहा जाता है। इस शीर्ष का शेष ऐसे ही सभी लेन-देनों के संचयी परिणाम के घोतक होता है।

इस शेष के साथ लोक- ऋण, कर्ज और पेशगियाँ, उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखा को छोड़कर), प्रेषण और आकस्मिकता निधि के शेषों को जोड़कर वर्ष के अंत में शेष निकाला और सिद्ध किया जा सके।

सारांश के अन्य शीर्षों में सरकारी पुस्तकों के उन सभी लेखा शीर्षों के शेष शामिल किये गये हैं, जिनमें सरकार पर प्राप्त किये गये धन को वापस करने का दायित्व होता है या जहाँ सरकार भुगतान की गई रकम वसूल करने का दावा रखती है और इसके साथ ही ऐसे लेखाओं के शीर्ष भी शामिल हैं, जो प्रेषण से संबंधित लेन-देन के समायोजन के लिए पुस्तकों में खोले जाते हैं।

यह समझ लेना आवश्यक है कि इन शेषों को झारखण्ड सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा अभिलेख नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इनके अन्तर्गत भूमि, इमारतें, संचार व्यवस्था आदि जैसी राज्य की भौतिक परिसम्पतियों को शामिल नहीं किया जाता है और न इनमें ऐसी संचित देय राशियों का बकाया या देयताओं को शामिल किया जाता है, जिन्हें सरकार अनुसरण किए जाने वाले रोकड़ पद्धति के लेखे के अन्तर्गत हिसाब में नहीं लिया जाता है।

वर्ष के अंत में सरकारी लेखा में निवल नामे रकम इस प्रकार निकाली गई है :-

नामे		ब्योरे	जमा
(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*
84,775.80	क-	01 अप्रैल 2022 को सरकारी लेखे में नामे की राशि	
	ख-	(i) प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	80,245.22
		(ii) प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	0.00
66,681.64	ग-	व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	
14,015.59	घ-	व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	
0.00	ङ-	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	
0.00	च-	आकस्मिकता निधि में अंतरण	
	छ-	31 मार्च 2023 को सरकारी लेखे में नामे की राशि	85,227.81
1,65,473.03		**जोड़**	**1,65,473.03**

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश - क्रमांत

(i) कई मामलों में ''प्राप्तियां, संवितरण तथा आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा का विवरण'' (विवरण संख्या 21) में दिखाये गये अंतशेषों और लेखा कार्यालयों/ विभागीय कार्यालयों में इस उद्देश्य से रखे जाने वाले अलग से रजिस्टरों अथवा अभिलेखों के अंतशेषों में असमाधानिक अन्तर है। विसंगतियों के यथाशीघ्र निपटारे के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

(ii) शेषों के सत्यापन और उनकी स्वीकृति के लिये अधिकारियों को प्रतिवर्ष सूचित किया जाता है। बहुत से मामलों में ऐसी स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हुई है।

(iii) कुछ मामले में, जहाँ बड़ी राशियों के शेषों का सत्यापन और उनकी स्वीकृति अप्राप्त रहे, परिशिष्ट VII में दर्शाये गये हैं।

(iv) वैसे मामले में, जहाँ शेषों के सत्यापन के लिए पूरे ब्योरे अभिलेख अपेक्षित हैं, परिशिष्ट VII में दर्शाये गये हैं।

वर्ष 2022-23 के लिए वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ

1. लेखाकरण नीतियों के अभिप्राय का सारांशः

(i) रिपोर्टिंग इकाई :

ये लेखे झारखण्ड सरकार के लेन-देनों को प्रस्तुत करता है। झारखण्ड सरकार के प्राप्तियों और व्ययों के ये लेखे 34 कोषागारों द्वारा प्रेषित आरंभिक लेखे एवं 287 लोक निर्माण कार्य प्रमंडलों (यथा 124 सिंचाई प्रमंडल, 53 ग्रामीण कार्य/विकास प्रमंडल, 45 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, 37 पथ निर्माण प्रमंडल, 26 भवन निर्माण प्रमंडल एवं 2 विद्युत प्रमंडल), 113 वन प्रमंडल द्वारा प्रेषित प्राथमिक रूप से संकलित लेखे तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त शोधन ज्ञापनों के आधार पर संकलित किए गए हैं। वर्ष के अंत में कोई भी लेखा असम्मिलित नहीं रहा।

(ii) रिपोर्टिंग अवधि :

इन लेखाओं की रिपोर्टिंग अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 है।

(iii) रिपोर्टिंग करेन्सी :

झारखण्ड सरकार के लेखे भारतीय रूपयों (₹) में प्रतिवेदित किये जाते हैं।

(iv) लेखे का फॉर्म :

संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत, संघ तथा राज्यों के लेखे को वैसे फार्म में रखा जाता है, जिसे राष्ट्रपति एवं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सलाह पर निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 150 में शब्द 'फॉर्म' का व्यापक अर्थ, लेखे को रखे जाने वाले विस्तृत फार्म का निर्धारण ही नहीं, बल्कि लेन-देनों के वर्गीकरण के तहत उचित शीर्षो के चुनाव के आधार के लिए भी व्यवहृत होता है, जो लेखा चार्ट को तैयार करता है।

(v) बजट एवं वित्तीय प्रतिवेदन का आधार :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के प्रावधानों के अनुसार, प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण एक वित्तीय वर्ष के लिए, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट कहा जाता है, को अनुदानों/विनियोगों के रूप में वित्तीय वर्ष के आरंभ होने के पूर्व विधान मंडल के पटल पर रखा जाता है। बजट को सकल आधार पर बिना वसूलियों तथा प्राप्तियाँ, जो व्यय में कमी के रूप में समायोजित किए जाने के लिए अन्यथा अनुमत्य है, प्रस्तुत किया जाता है। बजट एवं लेखे के शीर्षो से संबंधित सभी अनुदानों/विनियोगों, जिनके शेषों को आगे नहीं ले जाया जाता है, वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत हो जाते हैं।

बजट एवं लेखे : राज्य के बजट एवं लेखे दोनों समान लेखाकरण अवधि, रोकड़ आधारित लेखाकरण एवं समान वर्गीकरण के आधार को अपनाते हैं। लेखे को लघु शीर्ष के स्तर तक मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची, जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सहमति पर महालेखा नियंत्रक द्वारा अधिसूचित किया गया है, के अनुसार वर्गीकृत किया गया है झारखण्ड राज्य में लघु शीर्षों के नीचे का वर्गीकरण महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय की सहमति के अनुरूप किया गया है।

वित्तीय दायित्वों एवं व्यय की गुणवत्ता में सुधार को सुनिश्चित करने के लिये झारखण्ड सकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 12 विभागों के लिये आऊटकम बजट को लागू किया है। आऊटकम बजट योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने तथा सभी योजनाओं के व्यय एवं निष्पादन की निगरानी में एक मापक यंत्र के रूप में कार्य करेगा। ऐसी आशा की जाती है कि यह व्यय के राजकोषीय विनियमन हेतु एक यंत्र के रूप में कार्य करेगा। आऊटपुट-आऊटकम विश्लेषण वैसी योजनाओं, जो पूंजीगत व्यय की अभिवृद्धि एवं राजस्व व्यय के अनुकूलन पर केन्द्रीत है, के मामलों को पहचानने में सहायक हो सकता है।

एक पृथक बजट तुलनात्मक विवरण के साथ विनियोग लेखे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अनुदानों/विनियोगों की तुलना में वास्तविक संवितरणों को प्रदर्शित करता है।

रोकड़ आधार : ये लेखे रिपोर्टिंग अवधि के दौरान ऐसे खाता एवं आवधिक समायोजनों, जिन्हें अपवाद के साथ प्राधिकृत किया गया है, वास्तविक रोकड़ प्राप्तियाँ को प्रदर्शित करता है। वित्त लेखे में इन प्राप्तियों और संवितरणों; निवल वसूलियों, कटौतियों एवं वापसियों को निवल आधार पर दर्शाया गया है।

खाता समायोजन : गैर-रोकड़ लेन-देन, जो कि समायोजनों/समाशोधनों के रूप में लेखे में प्रदर्शित होते हैं, खाता समायोजन हैं। इन लेन-देनों में से कुछ लेन देन लेखा प्रेषित करने वाले इकाईयों, जैसे- कोषागारों, प्रमंडलों आदि, राजस्व प्राप्तियों / कर्जों / लोक लेखा में वेतनों में कटौतियों एवं वसूलियों क समायोजनों हेतु, समेकित निधि एवं लोक लेखा आदि के बीच राशियों के अंतरण हेतु 'शून्य' विपत्रों आदि के स्तर पर, शामिल हैं।

खाता समायोजन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में भी किया जाता है। इनमें, अन्यों के बीच में, समेकित निधि (उदाहरणार्थ राज्य आपदा मोचन निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, ऋण शोधन निधि आदि) को नामे द्वारा लोक लेखा में सृजन एवं निधि में अंशदान हेतु दर्ज समेकित निधि को नामे द्वारा लोक लेखा में जमा लेखा शीर्षों को जमा करना; मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज अदायगियाँ को नामे तथा लोक लेखा में संगत मुख्य शीर्षों में जमा करते हुए नामे द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा राज्य सरकार समुह बीमा योजना पर ब्याज का वार्षिक समायोजन; केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर भारत सरकार के योजनान्तर्गत ऋण माफी का समायोजन, आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति आदि सम्मिलित हैं।

पूंजीगत एवं राजस्व व्यय के बीच वर्गीकरण : स्थायी प्रकृति के ठोस परिसम्पत्तियों के अर्जन पर (संस्थान के उपयोग के लिये न कि साधारणतया व्यवसाय के क्रम में बिक्री के लिये) अथवा वर्त्तमान परिसम्पत्तियों की उपयोगिता में अभिवृद्धि हेतु किये गये महत्वपूर्ण व्यय को मोटे तौर पर पूंजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुरक्षण, मरम्मत, रखरखाव पर अनुवर्त्ती प्रभारों एवं कार्यचालन व्ययों, जो परिसम्पतियों को चलायमान रखने हेतु अपेक्षित हो तथा संस्थान को चलाने हेतु दिन-प्रतिदिन किये जाने वाले अन्य सभी व्ययों को भी, जिसमें स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पूंजीगत एवं राजस्व व्यय को लेखे में पृथक रूप से दर्शाया गया है।

भौतिक एवं वित्तीय परिसम्पत्तियाँ तथा दायित्व : भौतिक परिसम्पतियाँ एवं वित्तीय परिसम्पत्तियाँ (जैसे कि निवेश, सरकार द्वारा लिये गये उधार एवं अग्रिम आदि) के साथ-साथ दायित्वों, जैसे कि ऋण आदि को ऐतिहासिक मूल्यों के आधार पर मापा गया है। भौतिक परिसम्पत्तियों का मूल्य ह्रास नहीं होता है तथा वित्तीय परिसम्पत्तियाँ परिशोधित नहीं होती हैं। भौतिक परिसम्पत्तियों को उनके अवधि के अन्त में हानियों को आँका या पहचाना भी नहीं जा सकता है।

सहायक अनुदान : भारतीय सरकारी लेखाकरण मानक (आई.जी.ए.एस.) 2 के अनुपालन में : संवितरण के समय सहायक अनुदान, रोकड़ के रूप में सहायक अनुदान का लेखाकरण एवं वर्गीकरण राजस्व व्यय के रूप में किया गया है, भले ही अनुदेशी द्वारा इसे परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये उपयोग किया गया हो, विशेष रूप से उन मामलों को छोड़कर, जिन्हें भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। सभी प्राप्त अनुदानों को राजस्व प्राप्तियों के रूप में मान्यता दी गयी है। राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायक अनुदानों के लेखाकरण एवं वर्गीकरण की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये इसे वित्त लेखे के विवरण सं. 10 एवं परिशिष्ट III में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। प्रकार के रूप में दिये गये सहायक अनुदान के संदर्भ में विस्तृत सूचना, यदि कोई है, उपलब्ध नहीं है।

उधार एवं अग्रिम : आई.जी. ए.एस. 3 के अनुपालन में : सरकार द्वारा लिये गये उधार एवं अग्रिमों से संबंधित प्रकटनों को वित्त लेखे के विवरण संख्या 7 एवं 18 में दर्शाया गया है। 31 मार्च 2023 को विवरणों में दर्शाये गये अंत शेषों को ऋणी इकाईयों / राज्य सरकार के साथ पूनर्मिलान किये जाने की आवश्यकता है।

सेवानिवृत्ति हितलाभ : रिपोर्टिंग अवधि के दौरन संवितरित सेवानिवृत्ति हितलाभों को लेखे में प्रदर्शित किया गया है किन्तु पुरानी पेंशन योजनान्तर्गत कर्मचारियों के प्रति सरकार के भविष्य के पेंशन दायित्व, जैसे कि कर्मचारियों को उनके विगत एवं वर्तमान सेवा हेतु सेवानिवृत्ति हितलाभों के भुगतान से संबंधित दायित्व, को लेखे में शामिल नहीं किया गया है।

(vi) पूर्णांकन :

विवरणियों में प्रदर्शित आँकड़े, जिन्हें 'लाख रुपये में' एवं 'करोड़ रुपये में' पूर्णांकित किया गया है, को संबंधित विवरणों के ऊपर में दर्शाया गया है।

खण्ड – I एवं खण्ड – II में क्रमशः संक्षिप्त विवरण्यिों एवं विस्तृत विवरणियों के बीच, जहाँ पर भी 0.01/0.02 लाख/ करोड़ का लघु अंतर है, आंकड़ों के पूर्णांकण के कारण है।

(vii) रोकड़ शेष :

लेखे में प्रतिवेदित रोकड़ शेष वह शेष है जिसे भारतीय रिर्जव बैंक के केन्द्रीय लेखा अनुभाग के साथ राज्य सरकार के लेखे में उस वर्ष के 31 मार्च के अंत में अभिलेखित किया गया है। रोकड़ शेष वर्ष के लिए राज्य के समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में सम्मिलित नकद लेन-देनों के पश्चात् शेष को प्रदार्शित करता है। खाता समायोजन रोकड़ शेष को प्रभावित नहीं करता है। वित्त लेखे में प्रतिवेदित रोकड़ शेष का पूनर्मिलान भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अपेक्षित है।

(viii) प्रतिबद्ध एवं आकस्मिक दायित्वों का प्रकटीकरण :

आकस्मिक दायित्वों जो समय एवं राशि पर निर्भर है, को मान्यता नहीं दिया गया है। आई.जी.ए.एस. – I के अनुपालन में सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये ब्यौरों के अनुरूप वित्त लेखे के विवरण सं. 9 एवं 20 में प्रक्षेत्र एवं/अथवा वर्ग वार गारंटियों का विवरण दर्शाया गया है।

सरकार लेखाकरण की प्रतिबद्धता का अनुसरण नहीं करता है तथा लेखे में न तो प्रतिबद्धताओं को अभिलेखित करता है और न ही प्रतिबद्धता के विरुद्ध दायित्व को मान्यता देती है।

(ix) पास थ्रू ट्रान्जेक्शन :

राज्य द्वारा संग्रहित किन्तु अन्य इकाईयों को हस्तांतरित की जाने वाली प्राप्तियों, जो एक से दूसरे के बीच की गयी लेने-देनों की प्रकृति के रूप में हो, को वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ में प्रकट किया गया है। इनमें राज्य कैम्पा निधि में वर्ष के दौरान संग्रहण की 10 *प्रतिशत* राशि को राष्ट्रीय निधि में वार्षिक आधार पर किया गया अन्तरण शामिल है।

2. लेखाकरण ढाँचे का अनुपालन :

(i) सलाह के बैगर नये उपशीर्षों/विस्तुत लेखा शीर्षों का खोला जाना : वर्ष 2022-23 के दौरान झारखण्ड सरकार द्वारा 123 नये उपशीर्षो (राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत 87 तथा पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत 36) को महालेखाकार से सलाह लिये बिना, जैसा कि भारत के सविधान के अनुच्छेद 150 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित है, खोला गया। राज्य सरकार द्वारा इन शीर्षो के अन्तर्गत बजट प्रावधान उपलब्ध कराया गया तथा वर्ष 2022-23 के दौरान इन शीर्षो में राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत ₹5,054.01 करोड़ एवं पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत ₹ 5,238.04 करोड़ का व्यय किया गया तदनुसार राज्य सरकार को सूचित किया गया।

3. समेकित निधिः

(i) वस्तु एवं सेवा करः

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य का जी.एस.टी. संग्रह वर्ष 2021-22 में ₹9,557.40 करोड़ की तुलना में ₹ 11,374.02 करोड़ था, जो कि

₹ 1,816.62 करोड़ (19.01 *प्रतिशत*) अधिक है। इसमें आई.जी.एस.टी. के अग्रिम विभाजन के अंतर्गत ₹ 373.23 करोड़ की राशि शामिल है। इसके अलावा केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर के तहत राज्य को सौंपे गए शुद्ध आय के हिस्से के रूप में राज्य को ₹ 8,873.77 करोड़ प्राप्त हुआ। जी.एस.टी. के तहत कुल प्राप्तियां ₹ 20,247.79 करोड़ थी। वर्ष 2022-23 के दौरान जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के फलस्वरूप हुई राजस्व की क्षतिपूर्ति के रूप में राज्य को ₹ 2,064.65 करोड़ प्राप्त हुआ।

संबंधित आंकड़ें वित्त लेखे के विवरण संख्या 14 एवं 17 में उपलब्ध है।

(ii) (क) राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण :

वर्ष 2022-23 के दौरान झारखण्ड सरकार द्वारा राजस्व अनुभाग के स्थान पर पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत ₹2,173.04 करोड़ तथा पूंजीगत अनुभाग के स्थान पर राजस्व अनुभाग के अंतर्गत ₹16.97 करोड़ गलत तरीके से दर्ज किया गया, जिसे व्यय के उद्देश्य से निश्चित किया गया। ₹2,173.04 करोड़ में से, ₹2,102.76 करोड़ पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान तथा ₹33.03 करोड़ छात्रवृत्ति एवं वजीफा से संबंधित है, जबकि ₹37.25 करोड़ सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) से संबंधित है। इससे राज्य का राजस्व/पूंजीगत व्यय का न्युनकथन/अधिकथन हुआ।

(ख) अव्ययित शेषों का गलत वर्गीकरण : झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 334 के अनुसार ₹ 1,115.39 करोड़ की राशि, जो कि पूर्व वर्षो से संबंधित था, व्यक्तिगत जमा/व्यक्तिगत लेजर लेखा के अंतर्गत ऋणों के अव्यतीत शेषों के रूप में जमा था, को संबंधित सेवा शीर्ष, जहां से राशि की निकासी की गयी थी, में व्यय में कमी के रूप में हस्तांतरित किया जाना था। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राप्ति शीर्ष ''0075- विविध सामान्य सेवाएँ, 800- अन्य प्राप्तियाँ'' के अंतर्गत राशि का गलत लेखाकरण किया गया। गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप राजस्व प्राप्ति के साथ-साथ ऋण का भी उस सीमा तक अधिकथन हुआ।

ये आंकड़े विवरण संख्या 4, 5, 15 एवं 16 में संदर्भित हैं।

(iii) मुख्य नियंत्री पदाधिकारियों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक०) के बीच प्राप्तियों और व्ययों का मिलानः
सभी नियंत्री पदाधिकारियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखंड द्वारा लेखांकित आंकड़ों के साथ सरकार की प्राप्तियों और व्यय का मिलान करें। वर्ष 2022-23 के दौरान, प्राप्तियाँ के अंतर्गत राशि ₹ 89,304.85 करोड़ (कुल प्राप्तियाँ का 99.86 *प्रतिशत*) और व्यय के अंतर्गत राशि ₹ 88,223.42 करोड़ (कुल व्यय का 96.27 *प्रतिशत*) का राज्य सरकार द्वारा मिलान किया गया।

वर्ष 2021-22 अर्थात पूर्व वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ के अन्तर्गत राशि ₹ 80,370.45 करोड़ (कुल प्राप्तियाँ का 99.40 *प्रतिशत*) एवं व्यय के अन्तर्गत राशि ₹ 74,516.68 करोड़ (कुल व्यय का 95.70 प्रतिशत) का राज्य सरकार द्वारा मिलान किया गया था।

(iv) लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय एवं 800- अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत प्रविष्टियाँः

लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय / 800- अन्य प्राप्तियाँ का व्यवहार केवल तभी किया जाए, जब लेखे मे उपयुक्त लघु शीष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। लघु शीर्ष के नियमित व्यवहार को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे लेख अपारदर्शी प्रतीत होता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, लेखा के दो मुख्य शीर्षो के अंतर्गत ₹ 22.37 करोड़, जो कि कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (₹ 80,701.89 करोड़) का 0.03 *प्रतिशत* है, को लेखे में लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। पूर्व वर्ष 2021-22 के दौरान, लेखा के दो मुख्य शीर्षो के अंतर्गत ₹ 11.74 करोड़, जो कि कुल राजस्व एवं पूजीगत व्यय (₹ 72,154.82 करोड़) का 0.02 *प्रतिशत* था, को लेखे में शीर्ष 800- अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

इसी प्रकार, लेखा के 47 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 2,324.60 करोड़, जो कि कुल राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 80,245.22 करोड़) का 2.90 प्रतिशत है, को लेखे में 800- अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। पूर्व वर्ष के दौरान, लेखा के 37 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,414.30 करोड़, जो कि कुल राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 69,721.86 करोड़) का 2.03 प्रतिशत था, को लेखे में 800- अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

यह विवरण संख्या 14, 15, एवं 16 में संदर्भित है।

(v) व्यक्तिगत जमा (पीडी) लेखे में निधियों का अंतरण:

व्यक्तिगत जमा लेखे नामित आहरण पदाधिकारियों को एक योजना से संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए व्यय का अधिकार प्रदान करता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान इन व्यक्तिगत जमा लेखे में ₹ 850.24 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई थी। इसमें मार्च 2023 में हस्तांतरित ₹ 55.99 करोड़ की राशि शामिल है।

झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 343 के साथ पठित नियम 330 के अनुसार, चौबीस (24) में से आठ (08) व्यक्तिगत जमा लेखे के प्रशासकों ने अपने शेषों को कोषागार के आंकड़ों के साथ मिलान और सत्यापित किया था तथा उनके द्वारा आठ (08) वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अग्रेषण हेतु उपलब्ध कराया गया। सोलह (16) व्यक्तिगत जमा लेखे के प्रशासकों ने अपने शेषों का कोषागार के आँकड़ों के साथ मिलान और सत्यापन नहीं किया था।

31 मार्च 2023 को व्यक्तिगत जमा लेखे का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2022 को अथशेष		वर्ष 2022-23 के दौरान वृद्धि		वर्ष 2022-23 के दौरान बंद/निकासी		31 मार्च 2023 को अंतशेष	
प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि (चालू व्यक्तिगत जमा लेखे में अंतरण)	प्रशासकों की संख्या	राशि (चालू व्यक्तिगत जमा लेखे से भुगतान)	प्रशासकों की संख्या	राशि
24	2,018.13	शून्य	850.24	शून्य	499.58	24	2,368.78

संबंधित आँकड़े वित्त लेखे के विवरण संख्या 21 में उपलब्ध हैं।

पूर्व वर्ष 2021-22 के दौरान चौबीस (24) में से सोलह (16) व्यक्तिगत जमा लेखे के प्रशासकों ने अपने शेषों को कोषागार के आँकड़ों के साथ मिलान और सत्यापित किया था तथा उनके द्वारा सोलह (16) वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को महालेखाकार कार्यालय को अग्रेषण हेतु उपलब्ध कराया गया। आठ (08) व्यक्तिगत जमा लेखे के प्रशासकों ने अपने शेषों का कोषागार के आँकड़ों के साथ मिलान और सत्यापन नहीं किया था।

31 मार्च 2023 को व्यक्तिगत जमा लेखे का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2021 को अथशेष		वर्ष 2021-22 के दौरान वृद्धि		वर्ष 2021-22 के दौरान बंद/निकासी		31 मार्च 2023 को अंतशेष	
प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि
24	1,746.52	शून्य	606.52	शून्य	334.91	24	2,018.13

(vi) असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) विपत्र :

झारखंड बजट नियमावली के नियम 107 के साथ पठित झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम 13(3) में यह परिकल्पना है कि सरकारी खजाने से कोई भी पैसा तब तक नहीं निकाला जाना चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो। आकस्मिक परिस्थितियों में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से राशि की निकासी हेतु प्राधिकृत हैं। झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 305 के साथ पठित नियम 187 के अनुसार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकायों द्वारा कोषागार से संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र की निकासी की तिथि से छः माह के भीतर संपूर्ण व्यय से संबंधित अभिश्रवों के साथ विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2022-23 के दौरान 357 ए०सी० विपत्रों द्वारा आहरित ₹ 595.44 करोड़ की राशि में से, ₹ 286.89 करोड़ (45.16 *प्रतिशत*) की राशि 198 ए०सी० विपत्रों द्वारा मार्च 2023 में आहरित किए गए। 31 मार्च 2023 को कुल 18,215 ए०सी० विपत्रों द्वारा आहरित ₹ 6,114.71 करोड़ से संबंधित डी०सी०सी० विपत्र प्राप्त नहीं हुआ था।

डी०सी०सी० विपत्र लंबित रहने के कारण 31 मार्च 2023 तक असमायोजित ए०सी० विपत्रों का विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष*	असमायोजित ए.सी. विपत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2021-22 तक	18,071	5,838.21
2022-23*	144	276.50
कुल	**18,215**	**6,114.71**

(सितम्बर, 2022 तक आहरित ए०सी० विपत्रों को लेखा में लिया गया है।)*

पूर्व वर्ष के दौरान असमायोजित ए.सी. विपत्रों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	असमायोजित ए.सी. विपत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2020-21 तक	18,128	5,631.27
2021-22 *	78	463.17
कुल	**18,206**	**6,094.44**

(सितम्बर, 2021 तक आहरित ए०सी० विपत्रों को लेखा में लिया गया है।)*

(vii) सहायक अनुदान के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र :

झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 261 एवं 262 के अनुसार, सरकार द्वार स्वीकृत सहायता अनुदान, अंशदान इत्यादि का सक्षम स्वीकृत प्राधिकार के अधीन के सिवाय संवितरण नहीं किया जायेगा, जिसे पिछले वित्तीय वर्ष के पहले वाले वर्ष में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से निकासी के लिये लंबित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति आदेश निर्गत करना चाहिये। उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने की सीमा तक, इस बात का जोखिम है कि वित्त लेखे में दर्शाई गई राशि लाभार्थियों तक पहुँची न हो।

वर्ष 2022-23 के दौरान, 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए बकाया 789 उपयोगिता प्रमाण पत्रों से संबंधित ₹ 1,285.72 करोड़ की राशि का समायोजन किया गया। 31 मार्च 2023 को बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष*	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2021-22 तक	38,275	1,02,173.42
2022-23	5,194	13,979.67
कुल	**43,469**	**1,16,153.09**

*(*ऊपर उल्लिखित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है अर्थात वास्तविक आहरण के एक वर्ष के पश्चात्।)*

इसी प्रकार 31 मार्च 2022 (पूर्व वर्ष) तक की बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति नीचे दी गयी है:

वर्ष*	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2020-21 तक	33,989	87,652.59
2021-22	5,075	15,806.55
कुल	**39,064**	**1,03,459.14**

*(*ऊपर उल्लिखित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है अर्थात वास्तविक आहरण के एक वर्ष के पश्चात्।)*

(viii) ब्याज समायोजन:

सरकार ज-आरक्षित निधि (क - ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ) और ट - जमा तथा अग्रिम (क - ब्याज वाली जमा) के तहत शेषों से संबंधित ब्याज का भुगतान/समायोजन करने के लिए उत्तरदायी है, और इस उद्देश्य के लिए, मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची में विशिष्ट उप मुख्य शीर्ष उपलब्ध कराये गए हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान इन निधियों/जमाओं और सरकार द्वारा भुगतान किए गए ब्याज का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

निधि/जमा	1 अप्रैल 2022 को शेष	ब्याज की गणना के लिए आधार	बकाया ब्याज	भुगतान किया गया ब्याज	कम भुगतान किया गया ब्याज
सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना	24.15	सरकार द्वारा अधिसूचित/सामान्य भविष्य निधि को भुगतेय ब्याज दर (7.1 *प्रतिशत*) के आधार पर की गई ब्याज की गणना	1.71	शून्य	1.71
राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण जमा	4,178.80	1 जनवरी को आर.बी.आई. के रिवर्स रेपो रेट (3.35 *प्रतिशत*) के अनुसार की गई ब्याज की गणना।	139.99	161.56 (पूर्व वर्ष से संबंधित ₹21.57 करोड़ शामिल)	शून्य
राज्य आपदा मोचन निधि	1,761.68	ओवरड्राफ्ट पर औसत ब्याज के अनुसार गणना किया गया ब्याज (7.49 *प्रतिशत*)	131.95	शून्य	131.95
कुल			**273.65**	**161.56**	**133.66**

₹ 133.66 करोड़ के ब्याज का भुगतान नही किए जाने/कम भुगतान किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय को ₹ 133.66 करोड़ से कम बताया गया।

ये आँकड़े विवरण संख्या 15, 21 एवं 22 में संदर्भित हैं।

(ix) सरकार द्वारा दी गई गारंटी : झारखंड सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा कर्जों पर राज्य सरकार की गारंटी को विनियमित करने के लिए कोई नियम/नीति नहीं बनाई थी। इस प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निकायों, जिन्हें गारंटी दी गई थी, पर कोई गारंटी कमीशन न ही भारित किया गया और न ही उनसे वसूल

किया गया। वर्ष 2022-23 के दौरान, गारंटियों में ₹ 776.00 करोड़ की वृद्धि हुई। 31 मार्च 2023 को राज्य द्वारा दी गई बकाया गारंटी ₹ 4,998.38 करोड़ थी।

ये आँकड़े विवरण संख्या 9 एवं 20 में संदर्भित है।

(x) पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्ययः

राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण से संबंधित किये गये व्यय को वित्त लेखे में विभिन्न कार्यात्मक लेखा शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष के स्तर तक दर्शाया गया है। झारखंड सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान मुख्य शीर्ष 3435- पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अंतर्गत न ही कोई बजट प्रावधान किया और न ही कोई व्यय।

(xi) केंद्रीय ऋणों का अपलेखनः तेरहवें वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुशंसाओं पर फरवरी 2012 में केंद्रीय योजना और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2010 को विभिन्न मंत्रालयों (स्वयं वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए अग्रिमों को छोड़कर) द्वारा राज्य सरकार को दिए गए अग्रिम ऋणों को अपलेखित कर दिया गया था। वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आदेश की प्रभावी तिथि (31 मार्च 2010) से किए गए मूलधन और ब्याज का अधिक पुनर्भुगतान को समायोजित करने और वित्त मंत्रालय को भविष्य में पुनर्भुगतान के विरूद्ध इसके कार्यान्वयन की अनुमति दी। झारखंड सरकार ने 31 मार्च 2023 के अंत तक ₹ 5.73 करोड़ (मूलधन ₹ 2.50 करोड़ तथा ब्याज ₹ 3.23 करोड़) का अधिक पुनर्भुगतान किया था, जिसमें से वित्त मंत्रालय ने अब तक ₹ 3.51 करोड़ का समायोजन किया है।

यह विवरण संख्या 17 में संदर्भित है।

(xii) राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जः ₹3,707.08 करोड़ के कर्जो (जिसका विस्तृत लेखा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संधारित किया जाता है), जिसमें तीन (3) विभाग शामिल हैं, का मूलधन एवं ब्याज की वसूली केवल 2021-22 के दौरान तथा ₹1,427.12 करोड़ के ऐसे कर्जों, जो 10 वर्षो से अधिक पुराने थे, को छोड़कर विगत कई वर्षो के दौरान प्रभावित नहीं हुई है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा ऋण की स्वीकृति देने वाले विभागों को ऋण शेषों (जिसका विस्तृत लेखा प्रधान महालेखाकार द्वारा संधारित किया जाता है) के सत्यापन एवं स्वीकार्यता के लिये प्रतिवर्ष सूचित किया जाता है। कोई भी ऋणी द्वारा शेषों की सम्पुष्टि नहीं की गई है। शेषों के मिलान हेतु विभागीय पदाधिकारियों से प्रतीक्षित सूचना का विस्तृत विवरण परिशिष्ट - VII में उपलब्ध कराया गया है।

यह विवरण संख्या 7 और 18 में संदर्भित है।

(xiii) वचनबद्ध देयताएंः बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में, केंद्र सरकार द्वारा प्रोद्भवन आधारित लेखाकरण की ओर बढ़ने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई है। हालांकि, परिवर्तन चरणबद्ध ही होगा, प्रोद्भवन आधारित लेखाकरण प्रणाली में बदलाव के लिए, वर्तमान रोकड़ आधारित लेखाकरण पद्धति के विवरणों के फॉर्म में कुछ अतिरिक्त जानकारी जोड़ा जाना अपेक्षित है, जिससे कि निर्णय लेने में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार द्वारा वचनबद्ध देयताओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना अपेक्षित था, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसे परिशिष्ट-XII में दर्शाया गया है।

(xiv) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं (के.प्रा.यो.)/ब्लॉक अनुदान को छोड़कर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) - का पुनर्संरचना :

योजना/गैर-योजना के विलय के परिणामस्वरूप, विमुक्त की गई केंद्रीय सहायता को अब केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय सहायता/अंशदान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत दर्ज कुल व्यय ₹ 14,724.42 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 12,510.71 करोड़ और

पूंजीगत व्यय ₹ 2,213.71 करोड़) है, जिसमें केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता और राज्य के हिस्से का व्यय शामिल है।

यह विवरण संख्या 15 एवं 16 में संदर्भित है।

(xv) केन्द्रीय योजना निधियों का राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट से इतर निधियाँ) :

(क) महालेखा नियंत्रक के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा ₹3,698.57 करोड़ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ, जिसमें मध्यवर्ती संस्थाओं/लाभुको को किया गया हस्तांतरण शामिल है।

वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में कार्यान्वयन अभिकरणों को निधि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण में 90.59 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई (वर्ष 2021-22 में ₹1,940.59 करोड़ से वर्ष 2022-23 में ₹3,698.57 करोड़ तक)। विस्तृत विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट- VI में दर्शाया गया है।

(xvi) राज्य सरकार का ऑफ बजट दायित्व :

राज्य सरकार ने अपने बजट दस्तावेजों/वार्षिक वित्तीय विवरण में ऑफ बजट दायित्वों को उजागर नहीं किया है। राज्य सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित प्रतिवेदन में ऑफ बजट दायित्व को शून्य के रूप में दर्शाया गया है। डिसकॉम (जे.वी.भी.एन.एल.) को ₹1,044.19 करोड़ की हानि के कारण अतर्निहित सब्सिडी, जिसे वर्ष 2022-23 में राज्य द्वारा अधिग्रहण किया जाना था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया।

(xvii) एकल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) के बैंक खातों में पड़ी अव्ययित राशि :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 1(13)पी.एफ.एम.एस./एफ.सी.डी./2020 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) के अंतर्गत निधियों की विमुक्ति तथा एकल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) के माध्यम से विमुक्त की गयी निधियों के उपयोग की निगरानी हेतु प्रक्रिया को अधिसूचित किया था। प्रत्येक सी.एस.एस. (CSS) के लिए, एस.एन.ए. (SNA) का अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, जो कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय के संचालन हेतु अधिकृत हों, में स्वयं का बैंक खाता स्थापित करना है। प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार को अपने खाते में प्राप्त केन्द्रांश को संगत राज्यांश के साथ संबंधित एस.एन.ए. के खाते में स्थानांतरित करना है।

कोषागार लेखानुसार वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने केन्द्रांश के रूप में ₹6,617.25 करोड़ प्राप्त किया। दिनांक 31 मार्च 2023 तक सरकार द्वारा एकल नोडल एजेंसियों को कोषागार लेखा में प्राप्त केन्द्रांश: ₹6,917.88 करोड़ तथा राज्यांश: ₹6,978.52 करोड़ हस्तांतरित किया गया। कुल हस्तांतरित ₹13,896.40 करोड़ में से, ₹0.13 करोड़ ए.सी. विपत्रों के माध्यम से, ₹11,552.10 करोड़ सहायक अनुदान विपत्रों के माध्यम से, ₹868.53 करोड़ पूर्ण रूप से प्रमाणित आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से, ₹1,467.84 करोड़ विविध विपत्रों के माध्यम से तथा ₹7.80 करोड़ लोक निर्माण कार्यो/वन चेकों के माध्यम से हस्तांतरित किया गया। एकल नोडल एजेंसियों से महालेखाकार कार्यालय का वास्तविक व्यय से संबंधित विस्तृत प्रमाणक एवं सहायक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए। सी.जी.ए./एस.एन.ए. के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के अनुसार 31 मार्च 2023 तक एकल नोडल एजेंसियों के बैंक खाते में ₹8,089.63 करोड़ अव्यतित था।

4. आकस्मिकता निधि: झारखंड आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001 के खंड 4 (जैसा कि 2015 में संशोधित) के अनुसार झारखंड सरकार ने ₹ 500 करोड़ की आकस्मिकता निधि का एक कोष स्थापित किया है। वर्ष 2022-23 के अंत में किसी भी शीर्ष के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति हेतु राशि शेष नहीं थी। अत: 31 मार्च 2023 को आकस्मिकता निधि का शेष ₹ 500 करोड़ रहा।

5. लोक लेखाः

(i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणालीः

वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन योजना, जो कि एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है, में कुल अशंदान ₹ 742.15 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान ₹ 341.30 करोड़ और सरकारी अंशदान ₹ 400.85 करोड़) था। सरकारी अंशदान से संबंधित विस्तृत सूचना वित्त लेखे के विवरण संख्या - 15 में उपलब्ध है। सरकार ने मुख्य शीर्ष 8342-117- परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत लोक लेखा में कर्मचारी अंशदान का ₹ 341.30 करोड़ हस्तांतरित किया। सरकारी अंशदान का ₹400.85 करोड़ का हस्तांतरण एन.एस.डी.एल. को प्रत्यक्ष रूप से किया गया।

झारखण्ड राज्य सरकार ने दिनांक 01.09.2022 से पुरानी पेंशन योजना में वापसी के लिए अधिसूचना जारी किया। 1,16,326 पात्र कर्मचारियों में से, 1,14,436 कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना का चयन किया। शेष 1,890 कर्मचारियों द्वारा कोई विकल्प नहीं दिया गया।

(ii) (अ) ब्याजदेय आरक्षित निधियाँः

(क) राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.):

राज्य आपदा मोचन निधि के गठन और प्रशासन पर दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार (मुख्य शीर्ष-8121- सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ के अंतर्गत, जो कि ब्याजदेय अनुभाग के अधीन है), केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में निधि में अंशदान अपेक्षित है। वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार को न तो केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में कोई राशि प्राप्त हुआ और न ही राज्य सरकार द्वारा कोई अंशदान किया गया। फिर भी, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त ₹ 200.00 करोड़ को लोक लेखा में एन.डी.आर.एफ. के अंतर्गत हस्तांतरित किया गया। 31 मार्च 2023 निधि में शेष के रूप में ₹ 1,511.26 करोड़ था।

(ख) राज्य आपदा शमन निधिः

राज्य आपदा शमन निधि (एस.डी.एम.एफ.) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के खंड 48(1)(c) के अंतर्गत किया जाना है। यह निधि आपदा के संदर्भ में राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.)/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) के दिशा-निर्देशों तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा के अधीन विशेष रूप से केवल शमन परियोजना के उद्देश्य के लिए है। दिनांक 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 8121-130- राज्य आपदा शमन निधि के अंतर्गत राज्य आपदा शमन निधि का गठन नहीं किया गया।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से ₹113.60 करोड़, जो कि वर्ष 2021-22 से संबंधित था, प्राप्त किया। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का हिस्सा ₹37.80 करोड़ था। राज्य सरकार ने निधि में कोई भी राशि हस्तांतरित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹151.40 करोड़ से व्यय का न्युनकथन हुआ।

(ग) राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधिः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन हेतु, राज्य सरकारों को प्रतिकरात्मक वनरोपण उपक्रम हेतु उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त राशियों के लिए राज्य के लोक लेखा में ब्याजदेय अनुभाग के अधीन राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि स्थापित करना अपेक्षित है।

वर्ष 2022-23 के दौरान उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राज्य लोक लेखा के स्थान पर "परिवेश पोर्टल" के माध्यम से सीधे ₹ 619.97 करोड़ केन्द्र सरकार को प्रेषित किया गया क्योंकि राज्य सरकार ने राशियों की प्राप्ति एवं उन राशियों को झारखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में जमा करने तथा राष्ट्रीय कोष में 10 *प्रतिशत* हिस्सा भेजने के लिए अपना कोई तंत्र निर्धारित नहीं किया था। राष्ट्रीय कैम्पा "परिवेश पोर्टल" और "ई-कुबेर" के एकीकरण के लिये

कार्यरत है। वर्ष 2022-23 के दौरान झारखण्ड सरकार को राष्ट्रीय प्रतीकरात्मक वनरोपण निधि से कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुआ था। 31 मार्च 2023 को राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में कुल शेष ₹ 4,020.53 करोड़ था।

ब. अब्याजदेय आरक्षित निधियां:

(क) समेकित निक्षेप निधि:

झारखंड सरकार ने वर्ष 2016-17 में ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की थी। निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य अपनी बकाया देनदारियों (आंतरिक ऋण + लोक लेखा) का न्यूनतम 0.50 *प्रतिशत* पिछले वर्ष के अंत में समेकित निक्षेप निधि में अंशदान कर सकते हैं (दिनांक 01.04.2022 को राज्य सरकार का कुल आंतरिक ऋण एवं लोक लेखा ₹ 1,13,482.49 करोड़ था)।

वर्ष 2022-23 में सरकार ने ₹ 567.41 करोड़, जिसे निधि में अंशदान करना अपेक्षित था, के विरुद्ध मात्र ₹ 500.00 करोड़ का अंशदान किया, परणिामस्वरूप ₹ 67.41 करोड़ का कम अंशदान हुआ। 31 मार्च 2023 को निधि में कुल जमा ₹ 1,003.87 करोड़ था (31 मार्च 2022 को ₹ 503.87 करोड़)।

(ख) गारंटी विमोचन निधि: राज्य सरकार ने गारंटी विमोचन निधि का गठन नहीं किया है, हालांकि राज्य द्वारा दिया गया बकाया गारंटी वर्ष 2022-23 के अंत तक ₹ 4,998.38 करोड़ था।

जैसा कि विवरण संख्या 9 एवं 20 में दर्शाया गया है।

(ग) केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सी.आर.आई.एफ.) :

भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना, दिनांक 31.03.2018 के द्वारा पूर्व के केन्द्रीय सड़क निधि के नाम को केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सी.आर.आई.एफ.) कर दिया गया है। राष्ट्रीय उच्च पथों, रेलवे परियोजनाओं, रेलवे में सुरक्षा हेतु सुधार, राज्य एवं ग्रामीण सड़कों तथा अन्य अवसंरचना, आदि के विकास एवं संरक्षण के लिए केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि का उपयोग होगा।

वर्तमान लेखाकरण प्रक्रिया के अनुसार, राज्य द्वारा केन्द्र से पाप्त किए गए अनुदानों को प्रारंभिक तौर पर मुख्य शीर्ष 1601- के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियाँ के रूप में दर्ज किया जाना है। तत्पश्चात् प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा कार्यात्मक मुख्य शीर्ष/शीर्षो के माध्यम से मुख्य शीर्ष 8449-103- केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से अनुदान के अंतर्गत लोक लेखा को हस्तांतरित किया जाना है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के अंतर्गत ₹ 81.56 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया। दिनांक 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार ने पूर्व वर्षो से संबंधित ₹ 156.63 करोड़ की शेष राशि का हस्तांतरण निधि में नहीं किया।

(iii) उचंत और प्रेषण शेष:

वित्त लेखे उचंत और प्रेषण शीर्षो के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाता है। इन शीर्षो के अंतर्गत बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षो में बकाया 'नामे' एवं 'जमा' शेषों को पृथक रूप से निकाल कर गणना किया जाता है, जो 31 मार्च 2023 को मुख्य शीर्षो 8658 एवं 8782 के अन्तर्गत ₹ 501.65 करोड़ था (31 मार्च 2022 को ₹ 244.62 करोड़)।

इन शीर्षो के अंतर्गत बकाया शेषों का समाशोधन नहीं होना राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षो (जो साल दर साल आगे ले जाया जाता है) के तहत प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों और शेषों की सटीकता को प्रभावित करता है।

(iv) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर:

भारत सरकार द्वारा श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए उपकर की उगाही तथा इसे एकत्र करने के लिए भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) अधिनियमित किया गया।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 0230-श्रम और रोजगार के तहत श्रम उपकर के रूप में ₹ 68.81 करोड़ (2021-22: ₹ 54.86 करोड़) एकत्र किया तथा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को ₹ 154.00 करोड़ (2021-22: शून्य) हस्तांतरित किया। 31 मार्च 2022 के अंत तक कुल अहस्तांतरित शेष ₹ 664.19 करोड़ था। 31 मार्च 2023 को मुख्य शीर्ष 0230 - श्रम और रोजगार से बोर्ड को कुल संचित अहस्तांतरित राशि ₹ 579.00 करोड़ थी।

(v) अन्य उपकर/शुल्क/अधिभार: वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 0029- भू-राजस्व के अंतर्गत उपकर/शूल्क/अधिभार (श्रम उपकर के अलावा) (2008-09 से 2020-21 : ₹ 79.43 करोड़, 2021-22: ₹ 0.81 करोड़) के रूप में ₹ 104.49 करोड़ एकत्र किया, जबकि राज्य सरकार द्वारा लोक लेखा के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8448-101- जिला निधि को कोई भी राशि हस्तांतरित नहीं की गई।

(vi) प्रतिकूल शेष: वर्ष के दौरान लेखे में प्रदर्शित होने वाली ऋण शेषों को नीचे दर्शाया गया है। बिहार तथा झारखण्ड के बीच परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का विभाजन नहीं होने के कारण इन शीर्षों के अंतर्गत ऋण शेष थे।

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	ऋण शेष (₹ करोड़ में)
6245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए ऋण	(-)0.64
6401	फसल कृषि-कर्म के लिए ऋण	(-)0.03
6402	मृदा तथा जल संरक्षण के लिए ऋण	(-)0.04
6506	भूमि सुधार के लिए ऋण	(-)0.002
7610	सरकारी सेवक आदि को ऋण	(-)135.83
8011	बीमा और पेंशन निधि	(-)1,577.59

(vii) रोकड़ शेष: 31 मार्च 2023 को महालेखाकार के अभिलेख के अनुसार रोकड़ शेष ₹ 91.07 करोड़ (नामे) था तथा आर.बी.आई. द्वारा रिपोर्ट की गई ₹ 95.29 करोड़ (नामे) थी। मुख्यत: समायोजन प्रविष्टियों की प्राप्ति नहीं होने के कारण ₹ 186.36 करोड़ (नामे) का निवल अंतर था। यद्यपि जुलाई, 2023 के अंत तक बकाया ₹ 55.66 करोड़ (नामे) रहा। अन्तर समाधान के अधीन है।

संदर्भित आँकड़ें वित्त लेखे के विवरण संख्या - 21 में उपलब्ध है।

31 मार्च 2022 को महालेखाकार के अभिलेख के अनुसार रोकड़ शेष ₹ 149.37 करोड़ (नामें) था तथा आर.बी. आई. द्वारा रिपोर्ट की गई ₹ 13.05 करोड़ (नामे) थी। मुख्यत: समायोजन प्रविष्टियों की प्राप्ति नहीं होने के कारण ₹ 162.42 करोड़ (नामे) का निवल अन्तर था।

6. राज्य के विशिष्ट मुद्दे:

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 :

(क) पेंशन दायित्वों और अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभों का विभाजन: बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 53 के तहत आठवीं अनुसूची के अनुसार, बिहार और झारखंड के उत्तरवर्ती राज्यों के कर्मचारियों के पेंशन दायित्वों को 15 नवंबर 2000 (बिहार और झारखंड राज्यों के विभाजन की तिथि) से 31 मार्च 2001 तक और बाद के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में बिहार और झारखंड के उत्तरवर्ती राज्यों के बीच विभाजित किया जा सकेगा। बिहार सरकार द्वारा 2017-18 तक उठाये गये ₹ 4,805.75 करोड़ के दावों के विरुद्ध झारखंड सरकार द्वारा ₹ 1,493.95 करोड़ का भुगतान किया गया।

झारखंड सरकार ने बिहार सरकार द्वारा दावा की गई पेंशन देयता के भुगतान को चुनौती देते हुए मई 2012 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 2012 का मूल वाद संख्या 1 दायर किया था, जो अभी भी विचाराधीन है।

झारखंड सरकार ने बिहार सरकार को 2018-19 के बाद से पेंशन देनदारी से संबंधित कोई भी राशि का भुगतान नहीं किया है।

(ख) राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप शेषों का विभाजन:

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में 15 नवंबर 2000 (बिहार और झारखंड राज्यों के विभाजन की तिथि) से बिहार और झारखंड के उत्तरवर्ती राज्यों के बीच शेषों को विभाजित किए जाने की प्रक्रिया का प्रावधान उपलब्ध है। 14 नवंबर 2000 को पूंजी प्रभाग (मुख्य शीर्ष ''4059'' से ''5475''), ऋण और अग्रिम (मुख्य शीर्ष ''6202'' से ''7615'') तथा रिजर्व बैंक के पास जमा को छोड़कर भाग III लोक लेखा के अंतर्गत शेषों को 15 नवंबर 2000 से 31 मार्च 2001 तक की अवधि के लिए बिहार के वित्त लेखे में प्रारंभिक शेष के रूप में हस्तांतरित किया गया था। इन शीर्षों के लिए 15 नवंबर 2000 से 31 मार्च 2001 तक की अवधि के लिए झारखंड के वित्त लेखे में प्रारंभिक शेष के रूप में 'शून्य' लिया गया था।

झारखंड सरकार ने कुछ बोर्डों, निगमों और स्थानीय निकायों आदि के स्वामित्व के संबंध में कानूनी सहायता मांगा है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संधारित लोक ऋण और रोकड़ शेष के तहत शेषों का विभाजन किया गया है, पूंजी प्रभाग (₹11,935.23 करोड़), उधार और अग्रिम (₹6,583.36 करोड़) और लोक लेखा (₹7,443.90 करोड़) के तहत शेषों का विभाजन अभी तक नहीं हुआ है। वित्त लेखा, 2022-23 के परिशिष्ट-XIII में विस्तृत विवरण दिया गया है।

शेषों के विभाजन के लिए मदवार विस्तृत अनुबंध (अनुबंध क से ङ) तैयार किया गया तथा दोनों राज्य सरकारों को सितंबर 2014 में संबंधित महालेखाकारों द्वारा उनकी सहमति के लिए भेजा गया। हालाँकि, इस मामले पर दोनों राज्य सरकारों की सहमति प्रतीक्षित है (अगस्त 2023)।

(ग) पूर्ववर्ती झारखंड राज्य बिजली बोर्ड (जे.एस.ई.बी.) के विरूद्ध असमाशोधित बकाया ऋणः

झारखंड सरकार ने अपने ज्ञापन संख्या 1538 दिनांक 6 जून 2013 के माध्यम से संकल्प पारित किया और झारखंड राज्य बिजली बोर्ड (जे.एस.ई.बी.) को पुनर्गठित करके बिजली क्षेत्र में कॉर्पोरेट संस्थाओं को बनाने का निर्णय लिया।

ऊर्जा विभाग, झारखंड सरकार के अधिसूचना संख्या 18 दिनांक 6 जनवरी, 2014 द्वारा निर्गत झारखंड राज्य विद्युत सुधार अंतरण योजना, 2013 की अनुसूची "ई" के अनुसार बोर्ड और राज्य सरकार के बीच अंतिम समायोजन हेतु लंबित राज्य सरकार के बकाया ऋण और उस पर बोर्ड से प्राप्त होने वाले ब्याज को राज्य सरकार की पुस्तकों में बोर्ड से वसूली योग्य के रूप में दिखाया जाना जारी रहेगा। वर्ष 2013-14 तक अर्थात इसके विघटन से पूर्व, ऋण के रूप में भूतपूर्व जे.एस.ई.बी. के विरूद्ध ₹ 7,222.18 करोड़ की राशि बकाया थी, जिसे वित्त लेखे के विवरण संख्या 18 में दर्शाया गया है।

7. राजस्व व्यय पर प्रभावः

गलत वर्गीकरण / राज्य वित्त के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप झारखंड सरकार के राजस्व व्यय पर प्रभाव, जैसा कि पूर्ववर्ती कंडिकाओं में बताया गया है, नीचे सारणीबद्ध है:

(₹ करोड़ में)

कंडिका संख्या	मद	राजस्व व्यय का अधिकथन	राजस्व व्यय का न्यूनकथन	पूंजीगत व्यय का अधिकथन	पूंजीगत व्यय का न्युनकथन	राजस्व प्राप्तियाँ का अधिकथन	राजस्व प्राप्तियाँ का न्युनकथन
3(ii)(क)	राजस्व एवं पूँजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण	16.97	2,173.04	-	-	-	-
5(iv)	श्रम उपकर का अहस्तांतरण	-	68.81	-	-	-	-
5(v)	अन्य उपकर/ शुल्क/ अधिभार का अहस्तांतरण	-	104.49	-	-	-	-
3(viii)	ब्याजदेय आरक्षित निधियाँ एवं ब्याजदेय जमा के अंतर्गत ब्याज का जमा नहीं किया जाना	-	133.66	-	-	-	-
5(ii) (अ)(ख)	राज्य आपदा शमन निधि में निधि का अहस्तांतरण	-	151.40	-	-	-	-
5(ii) (ब)(क)	समेकित निक्षेप निधि	-	67.41	-	-	-	-
3(ii)(ख)	अव्यतित ऋणों के शेषों का गलत वर्गीकरण	-		1,115.39	-	1,115.39	-
कुल	**अधिकथन/ न्यूनकथन**	**16.97**	**2,698.81**	**1,115.39**	**-**	**1,115.39**	**-**

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2023
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ae/jharkhand/en